

Self-ballasted LED Lamps

Self-ballasted LED Lamps	Clause of EC Act, 2001	Notification/Regulation/ Amendment & Date	Reference IS/ IEC Standards
Amendment III	14(a) Amendment III	S.O. 2178 (E) dated 2nd July, 2020	IS 16102 (Part I and II) With all amendments
Amendment II	14 (a) Amendment II	S.O. 3631 (E) dated 9 th October, 2019	
Amendment I	14(b) Amendment I	S.O. 937 (E) dated 21 st February, 2019	
	14(a) Amendment I	S.O. 938 (E) dated 21 st February, 2019	
	14(d) Amendment I	No. BEE/S&L/LED/52/2018-19 dated 21 st February, 2019	
Principle Notification	14(b)	S.O. 4096 (E) dated 28 th December, 2017	
	14(a)	S.O. 4097 (E) dated 28 th December, 2017	
	14(d)	No. BEE/S&L/LED/52/2017-18 dated 28 th December, 2017	



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072020-220319
CG-DL-E-02072020-220319

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1924]
No. 1924]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2020/आषाढ़ 11, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2020/ASHADHA 11, 1942

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2020

का.आ. 2178(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4097 (अ), तारीख 27 दिसंबर, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 के उप-पैरा (3) में "1 जनवरी, 2018 से 30 जून, 2020 तक" और "1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2023 तक" अंक और शब्द जहां कहीं भी आते हैं, के स्थान पर क्रमशः "1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2020" और "1 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2023" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 10/8/2020— ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-धारा (ii), अधिसूचना संख्या का. आ. 4097 (अ), तारीख 27 दिसंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का. आ. 938 (अ), तारीख 21 फरवरी, 2019 तथा अधिसूचना संख्या का. आ. 3631 (अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2019 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2020.

S.O. 2178(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 4097 (E), dated the 27th December, 2017, namely:—

In the said notification, in paragraph 3, in sub-paragraph (3), for the figures and words “1st January, 2018 to 30th June, 2020” and “1st July, 2020 to 30th June, 2023”, wherever they occur, the figures and words “1st January, 2018 to 31st December, 2020” and “1st January, 2021 to 30th June, 2023” shall respectively be substituted.

[F. No. 10/8/2020-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 4097 (E), dated the 27th December, 2017, subsequently amended *vide* notification number S.O. 938 (E), dated the 21st February, 2019 and notification number S.O. 3631 (E), dated the 9th October, 2019 respectively.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3310]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 9, 2019/आश्विन 17, 1941

No. 3310]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2019/ASVINA 17, 1941

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3631(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4097 (अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, -

(क) पैरा 1 में, खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"भारतीय मानक 16102 (भाग 1) के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो का लाइसेंस प्रमाणन चिह्न आवश्यक है।";

(ख) पैरा 3 में,

(i) उप-पैरा(3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) स्टार लेबल वाले सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प निम्नलिखित स्टार स्तर पैरामीटरों के अनुसार, ल्युमिनस फ्लक्स (ल्युमिन), वॉटेज (वॉट) और ल्युमिनस क्षमता (ल्युमन / वॉट), के आधार पर विहित किए जाएंगे, जिन्हें सारणी 3.1 या सारणी 3.2, से विनिर्माण या आयात या विक्री के वर्ष के आधार पर प्राप्त किया जाएगा जैसा सारणी 'क' के आधार पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा और ल्युमिनस क्षमता (ल्युमन / वॉट) का उपयोग स्टार रेटिंग बैंड और मॉडल की स्टार रेटिंग का अवधारण करने में किया जाएगा, अर्थात्:—

ल्युमिनस क्षमता (ल्युमन / वॉट) = ल्युमिनस फ्लक्स (ल्युमन) / वॉटेज (वॉट)

सारणी क

क्र. सं.	उत्पाद विनिर्माण या आयात या बिक्री की अवधि	उत्पाद के लिए स्टार स्तर अवधारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सारणी
(1)	(2)	(3)
1.	1 जनवरी, 2018 से 30 जून, 2020 तक	3.1
2.	1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2023 तक	3.2

सारणी 3.1**1 जनवरी, 2018 से 30 जून, 2020 तक स्टार स्तर वैधता**

क्र. सं.	स्टार रेटिंग बैंड	ल्युमिनस क्षमता (ल्यूमन / वॉट)
(1)	(2)	(3)
1.	1 स्टार *	≥68 और <79-फ्रीज़
2.	2 स्टार **	≥79 और <90
3.	3 स्टार ***	≥90 और <105
4.	4 स्टार ****	≥105 और <120
5.	5 स्टार *****	≥120

सारणी 3.2**1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2023 तक स्टार स्तर वैधता**

क्र. सं.	स्टार रेटिंग बैंड	ल्युमिनस क्षमता (ल्यूमन / वॉट)
(1)	(2)	(3)
1.	1 स्टार *	≥79 और <90 -फ्रीज़
2.	2 स्टार **	≥90 और <105
3.	3 स्टार ***	≥105 और <120
4.	4 स्टार ****	≥120 और <135
5.	5 स्टार *****	≥135";

(ii) उप-पैरा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) सारणी 3.1 और सारणी 3.2 में विनिर्दिष्ट 1 स्टार के लिए सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प पर विवरणों को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसे प्रत्येक सारणी के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ताकि उक्त सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प के न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन स्तर को उन्नत किया जा सके।

(iii) उप-पैरा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(5) स्टार लेवल योजना की समीक्षा सारणी 3.2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के समापन से पहले की जाएगी और इसके बाद प्रत्येक तीन वर्ष में स्टार लेवल योजना की समीक्षा की जाएगी।"।

[फा. सं. 21/14/2019--ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में का.आ. सं. 4097(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. सं. 938(अ), तारीख 21 फरवरी, 2019 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2019

S.O. 3631(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 4097 (E), dated the 27th December, 2017 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 28th December, 2017, namely:—

In the said notification,-

(a) in paragraph 1, for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iii) have Bureau of Indian Standards license mark certification in accordance with Indian Standard 16102 (Part 1).”;

(b) in paragraph 3,-

(i) for sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(3) The star level of the self-ballasted LED lamps shall be determined on the basis of star level parameters, luminous flux (lumens), wattage (watts) and luminous efficacy (lumen/ watt), which shall be obtained from Table 3.1 or Table 3.2, depending on the year of manufacturing or import or sale as specified in Table A and the luminous efficacy (lumen/watt) shall be used to determine the star rating band and star rating of model, namely:—

Luminous Efficacy (Lumen/Watt) = Luminous Flux (Lumen)/ wattage (Watt)

TABLE A

S.No.	Period of product manufacturing or import or sale	Table to be used for determining star level to a product
(1)	(2)	(3)
1.	From 1 st January, 2018 to 30 th June, 2020	3.1
2.	From 1 st July, 2020 to 30 th June, 2023	3.2

TABLE 3.1

Star level valid from 1st January, 2018 to 30th June, 2020

S. No.	Star rating band	Luminous Efficacy (Lumen/Watt)
(1)	(2)	(3)
1.	1 Star *	≥68 and <79 -Freeze
2.	2 Star **	≥79 and <90
3.	3 Star ***	≥90 and <105
4.	4 Star ****	≥105 and <120
5.	5 Star *****	≥120

TABLE 3.2
Star level valid from 1st July, 2020 to 30th June, 2023

S. No.	Star rating band	Luminous Efficacy (Lumen/Watt)
(1)	(2)	(3)
1.	1 Star *	≥ 79 and < 90 –Freeze
2.	2 Star **	≥ 90 and < 105
3.	3 Star ***	≥ 105 and < 120
4.	4 Star ****	≥ 120 and < 135
5.	5 Star *****	≥ 135 .”;

(iv) for sub-paragraph (4), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(4) The permission for display of particulars on self-ballasted LED lamps for 1 star specified in Table 3.1 and Table 3.2 shall not be permitted for the validity period so specified for each table, with a view to upgrade the minimum energy performance level of such self-ballasted LED lamps.”;


(v) for sub-paragraph (5), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(5) The star level plan shall be reviewed before the expiry of the period specified under Table 3.2 and thereafter, the star level plan shall be reviewed every three years.”.

[F. No. 21/14/2019-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 4097(E), dated the 27th December, 2017 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 938 (E), dated the 21st February, 2019.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 807]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2019/फाल्गुन 2, 1940

No. 807]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019/PHALGUNA 2, 1940

विद्युत मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2019

का.आ. 937(अ).—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (ख) और खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ.4096 (अ) तारीख, 28 दिसम्बर, 2017 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से परामर्श करके केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प जिसकी बिजली खपत 3 वॉट से 25 वॉट के बीच है, जो सिंगल फेज़ अल्टरनेटिंग करंट आपूर्ति पर सामान्य लाइटिंग सेवाओं के लिए और 250 वोल्ट, 50 हर्ट्ज़ सहित उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए कार्य करता है तथा निदेश दिया जाता है कि ऐसा कोई उपकरण या उपकरणों का वर्ग जिसे बिक्री के लिए निर्मित किया या बेचा या खरीदा या बिक्री के लिए आयात किया जाता है, उस पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में बनाए गए (सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प के लेवल पर विवरण तथा उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2017 में निर्दिष्ट रीति से लेवल पर विवरण लगाए जाएं।

[फा. सं. 13/19/2015 (भाग द्वितीय)-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2019

S.O. 937(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4096 (E), dated the 28th December, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the self-ballasted LED lamps for general

lighting services having rated power from 3 watts to 25 watts, that works on single phase alternating current supply up to and including 250V, 50Hz for the purposes of the said Act, and directs that any such appliances or class of appliances being manufactured or sold or purchased or imported for sale shall display particulars on labels in the manner specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2017 made under the Energy Conservation Act, 2001.

[F. No. 13/19/2015 (Part II)-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

का.आ. 938(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से स्टार लेबल वाले सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प के लिए निम्नलिखित ऊर्जा खपत मानकों को निर्दिष्ट करती है जिसमें बिजली की खपत 3 वॉट से 25 वॉट तक होती है, के प्रयोजन के लिए भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित का. आ. अधिसूचना सं. 4097 (अ.) तारीख 28 दिसंबर, 2017 में संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में, -

(क) पैरा 1 में, "प्रत्येक सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्रत्येक सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प जिसकी बिजली खपत 3 वॉट से 25 वॉट के बीच है";

(ख) पैरा 2 में, खंड (क) को खंड (कक) के रूप में दूसरा नाम दिया जाएगा और दूसरा नाम दिए गए खंड (कक) से पहले, इसलिए निम्नलिखित खंड को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(क) प्रारंभिक ल्यूमिनस फ्लक्स से परीक्षण के 0 घंटे पर होने वाला लैम्प ल्यूमिनस फ्लक्स अभिप्रेत है। यह ल्यूमेन (एलएम) में मापा जाता है, मापे गए नमूने में प्रत्येक अलग अलग एलईडी लैम्प का प्रारंभिक ल्यूमिनस फ्लक्स 10 प्रतिशत से अधिक रेटेड ल्यूमिनस फ्लक्स से कम नहीं होगा और मापे गए नमूनों का औसत प्रारंभिक ल्यूमिनस फ्लक्स 7.5 प्रतिशत से अधिक रेटेड ल्यूमिनस फ्लक्स से कम नहीं होगा;'

(ग) उप-पैरा (3) और उसकी सारणी के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3 क) रजिस्ट्रीकरण प्रयोजन के लिए मॉडल (समूह दिशानिर्देश) का परिवार निम्नलिखित सारणी और प्रक्रिया के अनुसार विचार में लिया जाएगा, अर्थात्:-

"सारणी

समूह अभिहित कोड	ल्यूमेन रेंज	सीसीटी 2700K - <3500K	सीसीटी 5000K -<5000K	सीसीटी 5000K - <6500K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क	100-500	<परिवार क3(1)- परिवार क3(n) >	< परिवार क4(1) - परिवार क4(n) >	< परिवार क5(1) - परिवार क5(n) >
ख	501-1000	< परिवार ख3(1) - परिवार ख3(n) >	< परिवार ख4(1) - परिवार ख4(n) >	< परिवार ख5(1) - परिवार ख5(n) >
ग	1001-1500	< परिवार ग3(1) - परिवार	< परिवार ग4(1) - परिवार	< परिवार ग5(1) - परिवार

		ग3(n) >	ग4(n) >	ग5(n) >
घ	1501-2500	< परिवार घ3(1) - परिवार घ3(n) >	< परिवार घ4(1) - परिवार घ4(n) >	< परिवार घ5(1) - परिवार घ5(n) >
ड.	>2500	< परिवार ड.3(1) - परिवार ड.3(n) >	< परिवार ड.4(1) - परिवार ड.4(n) >	< परिवार ड.5(1) - परिवार ड.5(n) >

- (i) स्टार रेटिंग केवल प्रत्येक वॉटेज (आईएस 16102 (भाग 2) में परिभाषित प्रभावकारिता) के लिए ल्यूमेन/ वॉट के 0 घंटों पर प्रारंभिक परीक्षण के आधार पर दी जा सकती है
- (ii) प्रत्येक समूह में केवल एक वॉट क्षमता पूरे जीवन के परीक्षण के लिए होगी।
- (iii) अनुमोदन की तारीख से 3 महीने के अंदर 1000 घंटे की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- (iv) घोषित जीवन की पच्चीस प्रतिशत परीक्षा रिपोर्ट अनुमोदन की तारीख से 1 वर्ष के अंदर जमा की जानी चाहिए।
- (v) अतिरिक्त सीसीटी के लिए, केवल ल्यूमेन / वॉट और सीसीटी रिपोर्ट जमा की जाएगी और पुनः से जीवन की परीक्षण रिपोर्ट जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- (vi) एक अलग (उच्चतर) स्टार रेटिंग बैंड के लिए, खंड (i) से (v) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाएगा”;
- (घ) उप-पैरा 4 के उप-पैरा (6) और (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(6) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प में कम से कम 95 प्रतिशत ल्यूमेन रखरखाव 1000 घण्टों के प्रचालन पर होगा, जबकि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 के 52) की धारा 14 के खंड (घ) के अधीन विनियमों में परिभाषित मॉडलों के प्रत्येक परिवार के बीच, निर्माता मूल मॉडल के लिए 1000 घंटे की परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें मॉडलों के उक्त कथित परिवार के अनुमोदन की तारीख से तीन महीने के अंदर ल्यूमेन रखरखाव का नब्बे प्रतिशत प्रकट किया जाएगा।।

(7) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प में 6000 घण्टों के प्रचालन पर और घोषित जीवन के 25 प्रतिशत में 1000 घण्टों की अवधि सहित ल्यूमेन रखरखाव सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16102 (भाग 2) के खण्ड 11.2 में निर्दिष्ट संगत लैम्प डेटा शीट में बताए गए मान से कम नहीं होगा, जबकि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 के 52) की धारा 14 के खंड (घ) के अधीन नियमों में परिभाषित मॉडल के प्रत्येक परिवार के बीच, निर्माता मॉडल के उक्त परिवार के अनुमोदन की तारीख के बारह महीनों के अंदर मूल मॉडल के लिए 6000 घंटे की परीक्षण रिपोर्ट या घोषित जीवन का पच्चीस प्रतिशत जमा करेगा।”

[फा. सं. 13/19/2015 (भाग द्वितीय)-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. का. आ. 4097 (अ.) तारीख 28

दिसम्बर 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2019

S.O. 938(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the following energy consumption standards for star labelled self-ballasted LED lamps having power consumption in the range of 3 watts to 25 watts and for that purpose amends the Notification of the Government of India in the Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4097 (E), dated the 28th December, 2017, namely:-

2. In the said notification,-

(a) in paragraph 1, for the words “every self-ballasted LED lamps”, the following shall be substituted, namely:-

“Every self-ballasted LED lamp having rated power from 3 watts to 25 watts”;

(b) in paragraph 2, clause (a) shall be relettered as clause (aa) and before clause (aa) so relettered the following clause shall be inserted, namely:-

‘(a) initial luminous flux means the luminous flux of the lamp at 0 hour of testing. It is measured in lumens (lm), the initial luminous flux of each individual LED lamp in the measured sample shall not be less than the rated luminous flux by more than 10 per cent. and the average initial luminous flux of the measured samples shall not be less than the rated luminous flux by more than 7.5 per cent;’ ;

(c) after sub-paragraph (3) and the Table thereof, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

“(3A) The family of models (grouping guidelines) for registration purpose shall be considered as per the following Table and procedure, namely:-

“Table

Group Designation Code	Lumen Range	CCT 2700K- <3500K	CCT 3500K- <5000K	CCT 5000K- <6500K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	100-500	<family A3 ₍₁₎ – family A3 _(n) >	<family A4 ₍₁₎ – family A4 _(n) >	<family A5 ₍₁₎ – family A5 _(n) >
B	501-1000	<family B3 ₍₁₎ – family B3 _(n) >	<family B4 ₍₁₎ – family B4 _(n) >	<family B5 ₍₁₎ – family B5 _(n) >
C	1001-1500	<family C3 ₍₁₎ – family C3 _(n) >	<family C4 ₍₁₎ – family C4 _(n) >	<family C5 ₍₁₎ – family C5 _(n) >
D	1501-2500	<family D3 ₍₁₎ – family D3 _(n) >	<family D4 ₍₁₎ – family D4 _(n) >	<family D5 ₍₁₎ – family D5 _(n) >
E	>2500	<family E3 ₍₁₎ – family E3 _(n) >	<family E4 ₍₁₎ – family E4 _(n) >	<family E5 ₍₁₎ – family E5 _(n) >

- (i) Star rating can be given only on the basis of initial testing at 0 hours of lumen/watt for each wattage (the efficacy as defined in IS 16102 (Part 2)).
- (ii) Only one wattage in each group will go for complete life test.

- (iii) 1000 hours test report to be submitted within 3 months from the date of approval.
- (iv) Twenty five per cent. of declared life test report to be submitted within 1 year from the date of approval.
- (v) For additional CCT, only the lumen/watt and CCT report shall be submitted and there shall not be any requirement to submit the life test report again.
- (vi) For a different (higher) star rating band, the procedure specified in clause (i) to (v) shall be complied with”;
- (d) For sub-paragraph (6) and (7) of paragraph 4, the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

“(6) It shall be ensured that every self-ballasted LED lamp shall have at least ninety five per cent. lumen maintenance at 1000 hours of operation however among each family of models defined in regulations under clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the manufacturer shall submit the 1000 hours test report for the parent model revealing ninety five per cent. of lumen maintenance, within three months of the date of approval of the aforesaid family of models.

(7) It shall be ensured that every self-ballasted LED lamp at 6000 hours of operation or at twenty five per cent. of declared life, including the ageing period of 1000 hours, shall not have lumen maintenance less than the value indicated in the relevant lamp data sheet as specified in clause 11.2 of Indian Standard IS16102 (part 2) with all amendments, however among each family of models defined in regulations under clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), manufacturer shall submit 6000 hours test report or at twenty five per cent. of declared life for the parent model, within twelve months of the date of approval of the aforesaid family of models.”

[F. No. 13/19/2015 (Part II)-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2019/ फाल्गुन 2, 1940

No. 76]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019/ PHALGUNA 2, 1940

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2019

सं. बीईई/एस एण्ड एल/एलईडी/ 52/2018-19.—प्रारूप संशोधन विनियम अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ वालास्टेड एलईडी लैंप के लेबलों पर इनके प्रदर्शन के विवरण और रीति) विनियम, 2018 बीईई / एस एण्ड एल/ एलईडी /52/2018-19 तारीख 13 दिसंबर, 2018 को प्रकाशित किए गए थे, जैसा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित है, जिसमें इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से राजपत्र की प्रतियों में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, जब जनता को उपलब्ध कराया गया था, तीस दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

13 दिसंबर, 2018 को उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और जबकि इस बारे में सुझाव का ध्यान रखा गया है।

अतः अब केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (i) और धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ वालास्टेड एलईडी लैंप के लेबलों पर इनके प्रदर्शन के विवरण और रीति) विनियम, 2017 के संशोधन में, ऐसे संशोधन से पहले उन बातों के सिवाए किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ब्यूरो निम्नलिखित विनियमों को बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्पों के लेबलों पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति), संशोधन विनियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्पों के लेबलों पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2017 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया),-
विनियम 2 में,
(i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंडों को रखा जाएगा, अर्थात् :-
'(ख) "छोटे मॉडल" से मूल मॉडल को छोड़कर, सभी मॉडल या परिवार के अंदर के मॉडल अभिप्रेत है;
(खक) "मॉडलों के परिवार" से एक अभिहित समूह, ल्यूमेन रेंज, सीसीटी और स्टार रेटिंग बैंड के अंदर एक परिवार है और विनिर्माता द्वारा ऐसा घोषित एक मूल मॉडल और छोटे मॉडल या मॉडल शामिल हैं, अभिप्रेत है;
(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
'(छ) "मूल मॉडल" में परिवार से, विनिर्माता द्वारा "मूल मॉडल" के रूप में घोषित उच्चतम रेटेड वॉट क्षमता वाले एलईडी लैम्प अभिप्रेत है';
3. उक्त विनियमों के विनियम (6) में उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
" (4) मॉडलों के परिवार के अधीन एक मॉडल के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4097 (अ) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14 के खंड (क) के अधीन जारी भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4097(अ) जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-1। खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित की गई थी, के उपबंधों का अनुपालन करता है।

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./551/18]

टिप्पणः— प्रकाशित विनियम भारत के राजपत्र असाधारण में संख्या सं. बीईई/एस एण्ड एल/एलईडी/52/2017-18 तारीख 28 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2019

No. BEE/S&L/LED/52/2018-19.—Whereas the draft amendment regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2018, were published vide notification number BEE/S&L/LED/52/2018-19, dated the 13th December, 2018, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the period of forty-five days from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 13th December, 2018;

And whereas suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 14 read with clause (i) of sub-section (2) of section 58 and clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the said Act and in amendment of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such amendment, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

3. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps), Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

4. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manners of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2017 (herein after referred to as the said regulations,- in regulation 2,

(ii) for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

‘(b) “child model” means all model or models under a family, except the parent model;

(ba) “family of models” means a family within a designated group, lumen range, CCT and star rating band and consist of a parent model and child model or models declared as such by the manufacturer;’;

(ii) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(g) “parent model” in a family means , the LED lamp with highest rated wattage declared as a parent model by the manufacturer;’;

3. In regulation (6) of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) For the purpose of registration of a model under family of models, it shall be ensured that it complies with the provisions of the notification of the Government of India in Ministry of Power number S.O. 4097 (E), published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, sub-section (ii) of dated the 28th December, 2017 issued under clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001.”

ABHAY BAKRE, Director General
[ADVT. III/4/Exty./551/18]

Note.- The published regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide number BEE/S&L/LED/52/2017-18, dated the 28th December, 2017.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3579]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 28, 2017/पौष 7, 1939

No. 3579]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 2017/PAUSA 7, 1939

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4096(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (ख) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से विनिर्दिष्ट करती है कि स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प जो एकल अवस्था प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति पर सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए और 250 वोल्ट, 50 हर्ट्ज़ सहित उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए कार्य करता है और निर्देश दिया जाता है कि ऐसा कोई उपकरण या उपकरणों का वर्ग जिसे बिक्री के लिए निर्मित किया या बेचा या खरीदा या बिक्री के लिए आयात किया जाता है, उस पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के (स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2017 में निर्दिष्ट रीति से लेबल पर विवरण प्रदर्शित किए जाएं।

[फा. सं. 13/19/2015-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2017

S.O. 4096(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the self-ballasted LED lamps for general lighting services that works on single phase alternating current supply up to and including 250V, 50 Hz for the purposes of the said Act and direct that any such appliances or class of appliances being manufactured or sold or purchased or imported for sale shall display particulars on labels in such manner as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2017.

[F. No. 13/19/2015-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4097(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से स्टार लेबल युक्त स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लिए निम्नलिखित ऊर्जा खपत मानक निर्दिष्ट किए गए हैं अर्थात् :-

1. प्रत्येक स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प जो एकल अवस्था प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति पर सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए है और 250 वोल्ट, 50 हर्ट्ज सहित विनिर्मित किया गया है, भारत में वाणिज्यिक रूप से खरीदा या बेचा जा रहा है वह -

- (i) सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16102 (भाग 1) की धारा 16.1 और 16.2 में निहित अनुपालन आवश्यकताएं पूरी करे;
- (ii) सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16102 (भाग 2) में विनिर्दिष्ट निष्पादन आवश्यकताएं पूरी करे;
- (iii) सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16102 (भाग 1) के अनुसार सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी करे;

2. (1) परिभाषाएं : इस आदेश में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) 'जीवन' से अभिप्रेत है समय की वह अवधि जिसके दौरान एलईडी लैम्प मानक परीक्षण परिस्थितियों के अधीन शुरुआती ल्यूमिनस फ्लक्स की 70 प्रतिशत से अधिक मात्रा प्रदान करता है;
- (ख) 'ल्यूमिनस क्षमता' से अभिप्रेत है लैम्प द्वारा खपत की गई लैम्प की ल्यूमिनस फ्लक्स प्रति यूनिट विद्युत और ल्यूमिनस क्षमता की यूनिट जो ल्यूमेन प्रति वॉट (एलएम / वॉट) होगी;
- (ग) 'ल्यूमिनस फ्लक्स' से अभिप्रेत है एक प्रकाश स्रोत या एक ल्यूमिनायर द्वारा दी गई या सतह द्वारा ग्रहण की गई रोशनी जो दिशा से परे है, जिसमें वह वितरित होती है और ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन (एलएम) है;
- (घ) "ल्यूमेन अनुरक्षण" से अभिप्रेत है ऐसा ल्यूमिनस फ्लक्स जो लैम्प के ल्यूमिनस फ्लक्स के प्रारंभिक मूल्य द्वारा विभाजित किए गए एलईडी लैम्प के जीवन काल से है, जो प्रारंभिक ल्यूमिनस फ्लक्स के एक प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त है;
- (ङ) "निर्धारित ल्यूमिनस फ्लक्स" लैम्प पर चिह्नांकित किया गया ल्यूमिनस फ्लक्स या पूर्तिकार द्वारा की गई घोषणा अभिप्रेत है;
- (च) "निर्धारित वाट-संख्या" लैम्प पर चिह्नांकित किये गये वाट-संख्या से अभिप्रेत है;
- (छ) "स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प" से अभिप्रेत ऐसी इकाई जो स्थायी रूप से नुकसान किए बिना खोली नहीं जा सकती है, लैम्प आवरण के साथ उपबंधित है और एलईडी प्रकाश स्रोत के साथ है और प्रकाश स्रोत के स्थायी प्रचालन के लिए कोई अतिरिक्त आवश्यक तत्व है;
- (ज) "वाट-संख्या" से अभिप्रेत विजली माप के लिए प्रयुक्त एसआई व्युत्पन्न इकाई है और विद्युत के निबंधनों के अनुसार वाट-संख्या वोल्टेज (वाट में) से गुणित धारा (एम्पीयर) के बराबर है।

2. उन शब्दों और पदों से, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु इसके मानक में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16102 (भाग I) और भारतीय मानक 16102 (भाग II) में है।

3. स्टार रेटिंग या स्टार स्तर योजना – स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर चिपकाए गए लेबल एक वर्ष के अंतरालों के साथ अधिकतम पांच स्टार प्रदर्शित किए जाएंगे और ल्यूमिनस क्षमता के आधार पर लैम्प एक स्टार से पांच स्टार तक निर्धारित किए जायेंगे।

(2) प्रत्येक स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प ऊर्जा दक्षता मानक को निर्दिष्ट करेंगे, जो पैरा 1 के खण्ड (ii) में अधिकथित अपेक्षाओं का पालन करती है।

(3) स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के स्टार स्तर विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सारणी 3.1 के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे :

सारणी 3.1

(अधिसूचना की तारीख से 31 दिसम्बर, 2019 तक वैध)

स्टार स्तर	निर्धारित ल्यूमिनस क्षमता (ल्यूमेन / वाट)
1 स्टार*	≥68 और <79
2 स्टार **	≥79 और <90
3 स्टार ***	≥90 और <105
4 स्टार ****	≥105 और <120
5 स्टार *****	≥120

(4) उक्त स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के न्यूनतम ऊर्जा पालन स्तर को उन्नति करने की दृष्टि से, सारणी 3.1 में विनिर्दिष्ट स्टार 1 के लिए स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प की विशिष्टियों को प्रदर्शित करने की अनुज्ञा को इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के प्रभाव के साथ अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(5) प्रत्येक दो वर्षों में स्टार स्तर योजना का पुनर्विलोकन होगा।

4. परीक्षण और सहनशीलता- (1) स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के स्टार स्तर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए सारणी 4.1 में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट परीक्षण मानक प्रयुक्त होंगे, अर्थात् :-

सारणी 4.1

क्रम सं.	परीक्षण मानदंड	परीक्षण मानक
1	वाट-संख्या	सभी संशोधनों के साथ भारतीय मानक 16102 (भाग 2)
2	प्रारंभिक ल्यूमिनस फ्लक्स	
3	रंजक क्रोमेटिसिटी	सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प : भाग 2 पालन की अपेक्षाएं
4	रंजक प्रस्तुति सूचकांक (सीआरआई)	
5	शक्ति गुणक	
6	जीवन	
7	लैम्प क्षमता	
		लैम्प क्षमता निर्धारित बोल्टेज और आवृत्ति पर ल्यूमेन आउटपुट और वाटेज के मापे गये मान से प्राप्त की जायेगी।

8	फोटो जैविक सुरक्षा परीक्षण	भारतीय मानक 16108 एलईडी और एलईडी सिस्टम की फोटो जैविक सुरक्षा
9	अनुकूल	भारतीय मानक 14700 (भाग 3 / धारा 2) विद्युतचुंबकीय अनुकूलता : भाग 3 सीमाएं, अनुकूल धारा उत्सर्जन के लिए धारा 2 की सीमाएं
10	रेडियो विघ्न लक्षण के मापन की सीमाएं और रीति : भाग 5 वैद्युत प्रकाश और समरूप उपस्कर	रेडियो विघ्न लक्षण के मापन की भारतीय मानक 6873 (भाग 5) की सीमाएं और रीति : भाग 5 वैद्युत प्रकाश और समरूप उपस्कर
11	बीम कोण (परीक्षण रिपोर्ट केवल दिशात्मक एलईडी लैम्प के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए)	भारतीय मानक 16103 (भाग 2) सामान्य प्रकाश भाग 2 के लिए एलईडी माड्यूल : पालन की अपेक्षाएं

(2) सभी संशोधनों के साथ भारतीय मानक 16102 (भाग 2) के खण्ड 17 के अनुसार नमूनों की संख्या होगी।

(3) स्टार रेटिंग लेवलों के लिए कोई ऋणात्मक छूट नहीं होगी।

(4) सभी संशोधन के साथ भारतीय मानक 16102 (भाग 2) के खण्ड 18.2 के अनुसार अनुपालन को अर्जित किया जाएगा और एक बैच में अर्ह लैम्पों द्वारा प्रत्येक स्टार रेटिंग लेवल के लिए न्यूनतम दहलीज़ सीमा को पूरा किया जाएगा।

(5) विनिर्माण छूट और अन्य विविधताओं के विस्तार को विनिर्माता द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं को पूर्णतः बनाने के विचार सहित स्टार रेटिंग के निर्धारण के लिए विचार में लिया जाएगा, -

(क) विद्युत खपत (वाॉट), ल्यूमिनस फ्लक्स (ल्यूमेन), ल्यूमिनस क्षमता (एलएम / डब्ल्यू) के मान दशमलव के एक स्थान तक निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किए जाएंगे;

(ख) सभी मानों को भारतीय मानक 2 : 1960, पुनः पुष्टि 2000, संस्करण 2.3 के अनुसार संबंधित महत्वपूर्ण अंकों तक पूर्णांकित किया जाएगा;

(6) प्रत्येक स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प में कम से कम 95 प्रतिशत ल्यूमेन रखरखाव 1000 घण्टों के प्रचालन पर होगा।

(7) प्रत्येक स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प में 6000 घण्टों के प्रचालन पर या घोषित जीवन के 25 प्रतिशत में 1000 घण्टों की आयु अवधि सहित ल्यूमेन रखरखाव सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16102 (भाग 2) के खण्ड 13.1 में निर्दिष्ट संगत लैम्प डेटा शीट में बताए गए मान से कम नहीं होगा। और इसे अनुलग्नक क में दिए गए निर्धारित प्ररूप में अनुमोदन की तिथि से 12 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा।

5. परीक्षण रिपोर्ट – उपाबंध ख में दिए गए निर्धारित प्ररूप में जांचे गए नमूने के परिणामों की रिपोर्ट की जाएगी।

उपाबंध क

[पैरा (4) के उप पैरा (7) देखें]

ल्यूमेन रखरखाव का अनुपालन रिपोर्ट करने के लिए प्ररूप

दिनांक:

परीक्षण विवरण:

(i) प्रारंभिक ल्यूमिनस फ्लक्स (ल्यूमेन) का निर्धारित मान :

- (ii) ल्यूमेन रखरखाव की श्रेणी:
- (iii) प्रचालन के 6000 घंटे या घोषित जीवन के 25% के बाद ल्यूमेन रखरखाव का मापा गया मान :
- (iv) 6000 घंटों में ल्यूमेन रखरखाव की जांच रिपोर्ट संलग्न (हां / नहीं)

उपाबंध ख

[पैरा 5 देखें]

परीक्षणों के परिणाम की रिपोर्टिंग के लिए प्ररूप

(प्रत्येक प्रकार/मॉडल के लिए अलग परीक्षण रिपोर्ट प्ररूप उपयोग किया जाए)

परीक्षण रिपोर्ट सं.

तिथि :

1. स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैंप का विवरण

- (i) ब्रांड:
- (ii) मॉडल का नाम/संख्या : (यदि लागू हो) :
- (iii) निर्धारित वाट संख्या : (वाट्स में) :
- (iv) प्रकार :
- (v) निर्धारित वोल्टेज या वोल्टेज श्रेणी:
- (vi) निर्धारित ल्यूमिनस फ्लक्स (ल्यूमेन में) :
- (vii) निर्धारित ल्यूमिनस क्षमता (ल्यूमेन / वाट में) :

2. परीक्षण सारांश

- (i) निर्माता / प्रयोगशाला का नाम और पता:
- (ii) नमूना प्राप्त होने की तिथि:
- (iii) परीक्षण की तिथि :
- (iv) परीक्षण कार्मिक का नाम:
- (v) सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण की प्रकृति और किए गए परीक्षण के विवरण :
- (vi) सांकेतिक परीक्षण की स्थिति :
- (vii) निरीक्षण और परीक्षण परिणाम :

क्रम संख्या	परीक्षण पैरामीटर और सुसंगत इकाइयां	मापे गए मान	निर्धारित / घोषित मान (मानकों के अनुसार छूट लागू करने के बाद)	सुसंगत परीक्षण मानक
1	बिजली की खपत (वाट)			सभी संशोधनों के साथ भारतीय मानक 16102
2	प्रारंभिक ल्यूमिनस फ्लक्स (ल्यूमेन)			(भाग 2)

3	1000 घंटों (ल्यूमेन) पर ल्यूमिनस फ्लक्स			सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प:
4	रंग क्रोमैटिसिटी सुरक्षा आवश्यकता के अनुपालन (हां/ नहीं) [यदि हां, तो परीक्षण रिपोर्ट का संबंधित भाग संलग्न करें]			भाग 2 पालन की अपेक्षाएं
5	रंग रेंडरिंग इंडेक्स (सीआरआई) सुरक्षा आवश्यकता के अनुपालन (हां / नहीं) [यदि हां, तो परीक्षण रिपोर्ट का संबंधित भाग संलग्न करें]			
6	जीवन काल (घंटे)			
7	विद्युत कारक			
8	लैम्प क्षमता (ल्यूमेन / वॉट)			लैम्प क्षमता निर्धारित वोल्टेज और आवृत्ति पर ल्यूमेन आउटपुट और वॉटज के मापे गए मान से प्राप्त की जाएगी।
9	फोटो जैविक परीक्षण सुरक्षा आवश्यकता के अनुपालन (हां/ नहीं) [यदि हां, तो परीक्षण रिपोर्ट का संबंधित भाग संलग्न करें]			भारतीय मानक 16108 एलईडी और एलईडी सिस्टम की फोटो जैविक सुरक्षा
10	सुरक्षा आवश्यकता के साथ हार्मोनिक्स का अनुपालन (हां/ नहीं) [यदि हां, तो परीक्षण रिपोर्ट का संबंधित भाग संलग्न करें]			भारतीय मानक 14700 (भाग 3 / धारा 2) विद्युतचुंबकीय अनुकूलता: भाग 3 सीमाएं, हार्मोनिक करंट उत्सर्जन के लिए धारा 2 सीमाएं

11	रेडियो आवृत्ति विघ्न का उत्सर्जन सुरक्षा आवश्यकता के अनुपालन (हां/ नहीं) [यदि हां, तो परीक्षण रिपोर्ट का संबंधित भाग संलग्न करें]			रेडियो विघ्न विशेषताओं की सीमाएं तथा माप की विधियां : भाग 5 विद्युत प्रकाश और समरूप उपकरण
12	बीम कोण (परीक्षण रिपोर्ट केवल दिशात्मक एलईडी लैंप के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए)			भारतीय मानक 16103 (भाग 2) सामान्य प्रकाश भाग 2 के लिए एलईडी मॉड्यूल: पालन की अपेक्षाएं

[फा. सं. 13/19/2015-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2017

S.O. 4097(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the following energy consumption standards for star labelled self-ballasted LED lamps, namely:-

1. Every self-ballasted LED lamp for general lighting services that works on single phase alternating current supply up to and including 250V, 50Hz, being manufactured, commercially purchased or sold in India shall-

- meet the compliance requirements contained in section 16.1 and 16.2 of Indian Standard 16102 (part 1) with all amendments;
- meet all the performance requirements as specified in Indian Standard 16102 (part 2) with all amendments;
- meet the safety requirement as per Indian Standard 16102 (part I) with all amendments.

2. (1) Definitions: In this order, unless the context otherwise requires,-

- “life” means length of time during which a LED lamp provides more than 70 per cent. of the initial luminous flux, under standard test conditions;
- “luminous efficacy” means luminous flux of lamp per unit power consumed by the lamp and the unit of luminous efficacy shall be lumen per Watt (lm/W);
- “luminous flux” means the light given by a light source or a luminaire or received by a surface irrespective of the directions in which it is distributed and the unit of the luminous flux is the lumen (lm);
- “lumen maintenance” means luminous flux at a given time in the life of LED lamp divided by the initial value of the luminous flux of the lamp, which is expressed as a percentage x of the initial luminous flux;
- “rated luminous flux” means the luminous flux marked on the lamp or declared by the supplier;
- “rated wattage” means the wattage marked on the lamp;

- (g) “self-ballasted LED lamp” means a unit which cannot be dismantled without being permanently damaged, provided with a lamp cap and incorporating a LED light source and any additional elements necessary for stable operation of the light source;
- (h) “wattage” means the SI derived unit used to measure power and in terms of electricity, wattage is equal to current (in amperes) multiplied by voltage (in volts).
- (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in this standard shall have meanings respectively assigned to them in Indian Standard 16102 (part I) and Indian Standard 16102 (part II) with all amendments.

3. Star rating or star level plan.- (1) The label to be affixed on self-ballasted LED lamp shall display a maximum of five stars with an interval of one star, and the lamp shall be rated from star one to star five based on the luminous efficacy.

(2) Every self-ballasted LED lamp shall refer to energy consumption standard which meets the performance requirements as laid down in clause (ii) of paragraph 1.

(3) The star level of the self-ballasted LED lamp shall be determined as specified in the following Table 3.1:

Table 3.1
(Valid from the date of notification to 31st December, 2019)

Star Levels	Rated Luminous Efficacy (Lumen/Watt)
1 Star*	≥68 and <79
2 Star**	≥79 and <90
3 Star***	≥90 and <105
4 Star****	≥105 and <120
5 Star*****	≥120

(4) The permission for display of particulars on self-ballasted LED lamps for 1 star specified in Table 3.1 shall not be permitted with effect from coming in to force of this notification, with a view to upgrade the minimum energy performance level of such self-ballasted LED lamps.

(5) The star level plan shall be reviewed every two years.

4. Testing and tolerance.- (1) For the purpose of determining the star level of a self-ballasted LED lamp, the following test standards specified in Table 4.1 shall be used, namely:-

Table 4.1

S. No	Test parameters	Test Standards
1	Wattage	Indian Standard 16102 (part 2) with all amendments Self-ballasted LED lamps for general lighting services: Part 2 Performance requirements
2	Initial Luminous Flux	
3	Colour chromaticity	
4	Colour rendering index (CRI)	
5	Power factor	
6	Life	
7	Lamp efficacy	The lamp efficacy shall be derived from the measured value of lumen output and the wattage at the rated voltage and frequency
8	Photo biological safety test	Indian Standard 16108 Photo biological safety of LED and LED systems.
9	Harmonics	Indian Standard 14700 (part 3/sec 2) Electromagnetic compatibility: Part 3 Limits, Section 2 Limits for harmonic current emissions
10	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics : Part 5 Electrical lighting and similar equipment	Indian Standard 6873 (part 5) Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics: Part 5 Electrical lighting and similar equipment

11	Beam Angle (Test to be carried out only for directional lamps)	Indian Standard 16103 (part 2) LED modules for general lighting Part 2: Performance requirements
----	---	--

- (2) The number of samples shall be as per the clause 17 of Indian Standard 16102 (part 2) with all amendments.
- (3) There shall be no negative tolerance for the star rating levels.
- (4) Compliance shall be considered to be achieved as per clause 18.2 of Indian Standard 16102 (part 2) with all amendments and the qualifying lamps in a batch shall meet the minimum threshold limit for each star rating level.
- (5) The scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted by the manufacturer when determining the star rating keeping in view the following points for rounding off,-
- the values of power consumption (Watts), luminous flux (lumens), luminous efficacy (lm/W) shall be rounded off to nearest whole number up to one decimal places;
 - all the values shall be rounded off to respective significant figures, as per Indian Standard 2:1960, reaffirmed 2000, Edition 2.3;
- (6) Every self-ballasted LED lamps shall have at least 95 per cent. lumen maintenance at 1000 hours of operation.
- (7) Every self-ballasted LED lamps at 6000 hours of operation or at 25 per cent. of declared life, including the ageing period of 1000 hours, shall not have lumen maintenance less than the value indicated in the relevant lamp data sheet as specified in clause 13.1 of Indian Standard 16102 (part 2) with all amendments and the same shall be furnished within twelve months from the date of approval on the prescribed format given in Annexure A.
5. Test report. –The results of the sample tested shall be reported on the prescribed format given in Annexure B.

Annexure A

[See sub-paragraph (7) of paragraph (4)]

Form for reporting the compliance of lumen maintenance

Date:

Test details:

- Rated value of initial luminous flux (Lumen):
- Category of Lumen Maintenance:
- Measured value of the lumen maintenance at 6000 hours of operation or after 25% of the declared life:
- Test report of lumen maintenance at 6000 hours attached (Yes/No)

Annexure B

[See paragraph 5]

Form for reporting the results of tests

(Separate test report format shall be used for each type/models)

Test Report No.

Date:

3. Details of self-ballasted LED lamps

- Brand:
- Model name/number: (if applicable)
- Rated Wattage (in Watts):
- Type:
- Rated voltage or voltage range:
- Rated luminous flux (in lumens):
- Rated luminous efficacy (in lumens/Watt):

4. Test summary

- (j) Manufacturer/ Laboratory Name and address:
(ii) Date of receipt of sample:
(iii) Date of test:
(iv) Name of Testing Personnel:
(v) Nature of Test and details of test conducted as per the relevant standards:
(vi) Nominal test condition:
(vii) Observations and Test results:

S. No.	Test parameters & relevant units	Measured Values	Rated/Declared Values (after applying tolerances as per standards)	Relevant Test Standard
1	Power consumption (Watt)			Indian Standard 16102 (part 2) with all amendments Self-ballasted LED lamps for general lighting services: Part 2 Performance requirements
2	Initial luminous flux (Lumen)			
3	Luminous flux at 1000 hours (Lumen)			
4	Colour chromaticity Compliance with safety requirement (Yes/No) [If yes, attach relevant part of test report]			
5	Colour rendering index (CRI) Compliance with safety requirement (Yes/No) [If yes, attach relevant part of test report]			
6	Life (hours)			
7	Power factor			
8	Lamp Efficacy (Lumen/Watt)			The lamp efficacy shall be derived from the measured value of lumen output and wattage at the rated voltage and frequency.
9	Photo biological test Compliance with safety requirement (Yes/No) [If yes, attach relevant part of test report]			Indian Standard 16108 Photo biological safety of LED and LED system
10	Harmonics compliance with safety requirement (Yes/No) [If yes, attach relevant part of test report]			Indian Standard 14700 (part 3/sec 2)Electromagnetic compatibility: Part 3 Limits, Section 2 Limits for harmonic current emissions
11	Emission of radio frequency disturbances Compliance with safety			Indian Standard 6873 (part 5) Limits and methods of measurement of

	requirement (Yes/No) [If yes, attach relevant part of test report]			radio disturbance characteristics: Part 5 Electrical lighting and similar equipment
12	Beam Angle (Test report to be submitted only for directional LED lamps)			Indian Standard 16103 (part 2) LED Modules for general lighting Part 2: Performance requirements

[F. No. 13/19/2015-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 28, 2017/पौष 7, 1939

No. 498]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 2017/PAUSA 7, 1939

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

सं. बीईई/एसएण्डएल/एलईडी/52/2017-18.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार प्रारूप विनियम अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लेबलों पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2017 अधिसूचना सं. बीईई/एसएण्डएल/एलईडी/52/2017-18 तारीख 5 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और उक्त प्रारूप विनियमों की प्रतियां 5 सितंबर 2017 को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और पूर्वोक्त अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में सुझाव प्राप्त हो गए हैं;

और इस संबंध में प्राप्त सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः अब ब्यूरो, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (ह) और धारा 14 के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लेबलों पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति), विनियमन, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा :- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;

(ख) 'माँडलों का परिवार' से माँडलों का ऐसा समूह अभिप्रेत है, जिनके लिए पालन के सभी मानदंड एक समान हैं;

(ग) "प्रारूप" से इन विनियमों के साथ संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है;

- (घ) "लेबल" से स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्पों पर चिपकाई गयी या प्रदर्शित लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री अभिप्रेत है;
- (ङ) "लेबल अवधि" से अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक के अधीन प्रदीप्त क्षमता की विधि मान्यता अवधि से अभिप्रेत है;
- परन्तु यदि प्रदीप्त क्षमता की वैधता अवधि की समाप्ति को अधिसूचित नहीं किया गया है, तो इसे तब तक मान्य समझ लिया जाएगा जब तक की इसके लिए नए मान केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किए जाते;
- (च) "अनुज्ञापित व्यक्ति" से ऐसे व्यक्ति या ऐसी एजेंसी से अभिप्रेत है जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा दी गई है;
- (छ) 'अनुसूची' से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ज) 'स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प' से अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के अधीन अधिसूचना में निर्दिष्ट एक उपकरण अभिप्रेत है;
- (झ) "स्टार रेटिंग या स्टार स्तर" से अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रदीप्त क्षमता मानक पर आधारित स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लेबल पर प्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड अभिप्रेत है;
- (ञ) "व्यापारी या विक्रेता से उस व्यक्ति से अभिप्रेत है जो ऐसे लेबलयुक्त स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्पों की विक्री अथवा वितरण करता है और इसमें ऐसे दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्पों पर लेबल चिपकाने के लिए अनुमति प्राप्त अनुज्ञापित व्यक्ति शामिल हैं।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

3. लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाला विवरण :- (1) प्रत्येक स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर, इसके लेबल पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित किया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रतीक चिन्ह;
- (ख) विनिर्माता या आयातक और ब्राण्ड का नाम;
- (ग) व्यापार का नाम और संख्या;
- (घ) विनिर्माण या आयात का मॉडल और वर्ष;
- (ङ) विलक्षण श्रृंखला कोड;
- (च) वाट्स में बिजली की खपत;
- (छ) ल्यूमेनस में प्रदीप्त प्रवाह;
- (ज) प्रदीप्त / वाट में प्रदीप्त क्षमता;
- (झ) स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प का स्टार स्तर; और
- (ञ) लेबल की अवधि

(2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार और सामग्री इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में यथा: विनिर्दिष्ट होगा।

4. लेबलों के प्रदर्शन के लिए समय सीमा :- (1) विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विवरण वाला लेबल इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर प्रत्येक स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचित संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के आरंभ होने पर और आरंभ होने से, प्रत्येक अनुज्ञापित व्यक्ति या व्यापारी या विक्रेता सुनिश्चित करेगा, कि -

- (क) विक्री के लिए रखे गए स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर संशोधित स्टार स्तर प्रदर्शित होगा और संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ संशोधित समक्रमण अवधि और स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प या विनिर्माण वर्ष भी संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ समक्रमण में होगा और स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के साथ पिछली ऊर्जा खपत मानक के साथ उनका उत्पादन नहीं किया जायेगा।

- (ख) व्यवहारी, खुदरा व्यापारियों और उपभोक्ताओं की जागरूकता सहित सभी प्रारंभिक उपाय उनकी शिक्षा के अपेक्षित प्रचार-प्रसार के लिए उचित योजना से करने होंगे और इन विनियमों के अधीन ऐसे प्रारंभ की तारीख से छः मास पूर्व के होंगे।

5. लेबल प्रदर्शित करने की रीति :- (1) प्रत्येक स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर एक लेबल होगा, जो विक्री स्थल पर प्रदर्शित किया जायेगा और लेबल स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर निम्नलिखित रीति में चिपकाया जायेगा।

क. अपने आप चिपकाने वाला लेबल रैपर पर लगाया जाए;

ख. स्टार अंकन रेटिंग के अनुसार स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर मुहर अंकित की जाएगी, और

ग. स्टार अंकन के लिए मुहर का साइज 11.5 मि. मी. ऊंचा और 8.5 मि. मी. चौड़ा होगा।

6. लेबल प्रदर्शित करने की अनुज्ञा :- (1) ब्यूरो की अनुमति के बिना स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर कोई स्टार लेबल नहीं चिपकाया जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन ब्यूरो की अनुज्ञा लेने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक ब्रांड के लिए प्ररूप 1 में विनिर्दिष्ट तरीके से पंजीकृत स्वयं अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान की किसी अन्य कार्य इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा देय एक लाख रुपए का लेबल प्रतिभूति संलग्न होगा :

परन्तु, लघु पैमाने के उद्योग के मामले में, लेबल की प्रतिभूति राशि केवल पच्चीस हजार रुपए होगी;

(3) उप-विनियम (2) के अधीन अनुज्ञापित व्यक्ति के प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ संलग्न होंगे -

(क) प्रति मॉडल के लिए दो हजार रुपए का आवेदन शुल्क ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में मांगदेय ड्राफ्ट आहरण द्वारा आहरित या भुगतान के किसी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में देय होगा;

(ख) प्ररूप-II में यथा: विनिर्दिष्ट दस्तावेज;

7. अनुज्ञा प्रदान करना :- (1) विनियम 6 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर और इससे संतुष्ट होने पर कि इसमें दी गई सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो उक्त प्राप्ति की अवधि से मानक और लेबलिंग पर इसके प्रचालन मैनुअल में विनिर्दिष्ट इस प्राप्ति की अवधि के अंदर, विनियम 8 में यथा: विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अध्याधीन इसके लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।

(क) प्ररूप-III में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ब्रांड को रजिस्ट्र करे; या

(ख) प्ररूप- IV में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर लेबल चिपकाने के लिए अनुमति प्रदान करना।

(2) ब्यूरो, प्ररूप V में रजिस्ट्र बनाकर रखेगा और इसमें अनुज्ञापित व्यक्ति के नाम प्रविष्ट करेगा;

(3) उप विनियम (1) के अधीन प्रदत्त ऐसी अनुज्ञा ऐसी अवधि तक विधिमान्य होगी जिसके लिए प्रवृत्त अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन यथा-अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक स्टार स्तर विनिर्दिष्ट किये गये:

परन्तु यह कि अनुज्ञापित व्यक्ति धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के उपबंध के अनुसार प्रदान की गई अनुमति की तिथि से 12 माह के अन्दर घोषित जीवन के 25 प्रतिशत समय बाद 6000 घण्टों के अन्दर ल्यूमेन रखरखाव की परीक्षण रिपोर्ट जमा करेगा।

(4) अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा अनुज्ञा के नवीकरण के लिए आवेदन छह माह के भीतर किंतु इस अवधि की समाप्ति से एक माह पूर्व किया जाएगा और इसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में देय मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक ढंग में एक हजार रुपए का शुल्क लगा होना;

(5) विधिमान्यता की अवधि समाप्त होने के बाद किसी आवेदन का नवीकरण नहीं किया जाएगा ऐसे मामले में अनुज्ञापित व्यक्ति को नया आवेदन पत्र देना होगा;

(6) उप- विनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र मिलने पर और सभी अपेक्षाएं पूरी होने के संबंध में संतुष्ट होने पर, ब्यूरो ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर प्ररूप IV में अनुज्ञा का नवीकरण कर सकता है;

(7) जो अनुज्ञापित व्यक्ति उस तारीख से, जिस तारीख से संशोधित स्टार स्तर लागू हुआ है स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की अनुज्ञा चाहता है, प्ररूप VI में केवल एक घोषणा प्रस्तुत करेगा;

(8) यदि स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के नए मॉडल की योजना संशोधित स्टार स्तर के साथ ताल-मेल बिठाकर शुरू करने की योजना है तो अनुज्ञापित व्यक्ति नया लेबल चिपकाने की अनुज्ञा लेगा और ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन संशोधित स्टार स्तर के लागू होने से छह मास पूर्व किया जाए;

8. लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने के लिए निबंधन और शर्तें :- प्रत्येक अनुज्ञापित व्यक्ति और व्यापारी एवं विक्रेता अर्थात् :-

- (क) अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लिए ऊर्जा खपत मानकों का अनुपालन;
- (ख) स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के केवल ऐसा मॉडल पर लेबल लगाया जाए जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है;
- (ग) स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर अनुज्ञापित व्यक्ति के खर्च पर लेबल लगाया जाए;
- (घ) यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बना रहेगा;
- (ङ) विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;
- (च) ब्यूरो को विवरण मुहैया कराएगा जिसमें लेबल लगे उपकरणों को बनाने का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में आने वाले माह के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय प्रोद्भूत लेबलिंग शुल्क का विवरण हो;
- (छ) ब्यूरो के पास प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक उनके लेबल युक्त उत्पादों की विक्री के लिए नियुक्त अधिकृत वितरकों, व्यवहारी, खुदरा व्यापारियों, विक्रेताओं की अद्यतन सूची प्रस्तुत की जाए;
- (ज) ऐसे अन्य नियमों एवं शर्तों का पालन करेंगे जो ब्यूरो द्वारा मानक और लेबलिंग के संबंध में ब्यूरो की प्रचालन नियम पुस्तिका में निहित नियमों एवं शर्तों सहित विनिर्दिष्ट किए गए हों;

9. लेबल शुल्क :- (1) प्रत्येक अनुज्ञापित व्यक्ति, ब्यूरो को स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर प्रत्येक चिपकाए गए लेबल के लिए पांच पैसे लेबल शुल्क का भुगतान करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक माह के भीतर वार्षिक तौर पर किया जाएगा;

परन्तु यह कि यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का भुगतान न करने पर, ब्यूरो विनियम 6 के उप-विनियम (3) के खण्ड (ख) के अधीन लेबल प्रतिभूति निक्षेप संदत्त से इस पर प्रति वर्ष दस प्रतिशत की दर से इस पर ब्याज सहित बकाया रकम वसूल कर सकता है और यदि इसे जमा किए जाने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा लेबलिंग शुल्क वसूल नहीं किया जाता तो ब्यूरो अनुज्ञापित व्यक्ति को प्रदत्त अनुज्ञा रद्द कर सकता है और अनुज्ञापित व्यक्ति का नाम चूककर्ता के रूप में यथा समाचार पत्र में और इलेक्ट्रॉनिक साधन में प्रकाशित कर सकता है।

10. लेबल प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय :- विनियम 9 के उप-विनियम (2) के उपबंधों के अन्वयधिन, अनुज्ञापित व्यक्ति स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प का विनिर्माण बंद करने पर लेबल प्रतिभूति निक्षेप के प्रतिदाय का हकदार होगा।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन :- (1) ब्यूरो या इसकी नामनिर्दिष्ट एजेंसी या तो इसे शिकायत प्राप्त होने पर या स्वतः संज्ञान से यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प इसके लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर और अन्य विवरण के अनुरूप है और यह अनुज्ञा के अन्य निबंधन और शर्तों के अनुपालन में है।

(2) सत्यापन के प्रयोजन के लिए ब्यूरो या इसकी नामनिर्दिष्ट एजेंसी विनिर्माता सुविधा से जैसे यह उचित समझे, भण्डारगृह या फुटकर विक्रय केंद्र से यादृच्छिक तौर पर नमूने एकत्र करेगा;

(3) जहां उप-विनियम (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, ब्यूरो द्वारा जांच और अंशांकन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय परीक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प की जांच को चुनौती देकर सत्यापन करना अपेक्षित है,

- (क) ब्यूरो द्वारा अनुज्ञापित व्यक्ति को उक्त परीक्षण करने के लिए सूचना जारी की जाएगी और शिकायतकर्ता को ब्यूरो के पास उक्त समय के भीतर, जिसे ब्यूरो द्वारा निर्धारित किया जाए, परीक्षण, परिवहन और अन्य अनुषंगी व्ययों से संबंधित उक्त व्यय जमा करने के लिए कहा जाएगा;
- (ख) यदि चुनौती के अधीन लिए गए नमूने विफल रहते हैं तो अनुज्ञापित व्यक्ति ब्यूरो को नमूने की लागत, नमूने के परिवहन और परीक्षण प्रभार के सभी व्ययों की प्रतिपूर्ति करेगा और ब्यूरो उक्त व्यय का प्रतिदाय शिकायतकर्ता को करेगा; और
- (ग) जहां उपकरण चुनौती परीक्षण पर खरे उतरते हैं तब शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए उक्त व्यय समपहृत कर लिए जाएंगे।

(4) जहां, उप-विनियम (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होती है, यदि अनुज्ञापित व्यक्ति उक्त समय के अंदर उप विनियम (3) में संदर्भित उक्त व्यय जमा करने में विफल रहता है तो ब्यूरो द्वारा -

(i) उप-विनियम (3) में संदर्भित स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के चुनौती परीक्षण द्वारा सत्यापन जारी रखा जाएगा; और

(ii) विनियम 6 के अधीन प्राप्त आवेदन की कार्रवाई उक्त व्यय के जमा होने तक स्थगित रखी जाएगी।

(5) जहां परीक्षण के लिए स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के नमूने परीक्षण अथवा स्वयं संज्ञान परीक्षण के दौरान या चुनौती परीक्षण में विफल रहते हैं, अनुज्ञापित व्यक्ति को एक अन्य अवसर दिया जाएगा और ब्यूरो, अनुज्ञापित व्यक्ति की लागत पर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा विधिवत प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में प्रथम जांच में प्रयुक्त स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के दुगने परिमाण में दूसरा परीक्षण करेगा।

(6) जहां, दूसरा परीक्षण विफल होता है, ब्यूरो,-

(क) अनुज्ञापित व्यक्ति प्ररूप VII, में सभी राज्य नामनिर्दिष्ट एजेंसियों को निदेश देगा कि अनुज्ञापित व्यक्ति दो माह की अवधि के अंदर, -

(i) स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के रैपर पर लगाए गए लेवल में सही स्टार स्तर प्रदर्शित करेगा अथवा परीक्षण के दौरान त्रुटियों और कमियों को दूर करेगा;

(ii) ब्यूरो के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा; और

(iii) विज्ञापित सामग्री पर प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन करेगा।

(ख) दो माह के अंदर अनुज्ञापित व्यक्ति का नाम, ब्राण्ड का नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, प्रतीक चिह्न और अन्य विशिष्टियां किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र और किसी इलेक्ट्रॉनिक साधन या अन्य किसी रूप में इसका प्रकाशन करेगा, जो उचित पाया जाए;

(ग) संबंधित राज्य नामनिर्दिष्ट एजेंसी को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापित व्यक्ति और व्यापारी के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करने के लिए सूचित करेगा।

(7) अनुज्ञापित व्यक्ति उप-विनियम (6) में संदर्भित दो माह की अवधि समाप्त होने के दस दिनों के भीतर, करेगा -

(क) ब्यूरो को दिशा-निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्ररूप VIII में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा; और

(ख) यदि खण्ड (क) में संदर्भित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी निदेश के अनुपालन के बिना प्राप्त होती है तो इसे इस प्रभाव के लिए दिए गए आदेश और जारी निदेश का अनुपालन नहीं होना माना जाएगा जिसे ब्यूरो द्वारा दिया गया है।

(8) ब्यूरो अधिनियम की धारा 17 के अधीन कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ सभी राज्य नामनिर्दिष्ट अभिकरणों को उप-विनियम (7) के खण्ड (क) में संदर्भित अनुपालन रिपोर्ट और खण्ड (ख) में जारी आदेशों की प्रति आवश्यक दस्तावेजों द्वारा भेजेगा और उक्त उप विनियम के खण्ड(ख) के अधीन जारी आदेशों का प्रवर्तन करेगा।

(9) जहां अनुज्ञापित व्यक्ति, ब्यूरो द्वारा उप-विनियम (6) के अधीन जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वहां ब्यूरो सभी राज्य नामनिर्दिष्ट एजेंसियों को सूचना देते हुए, -

(क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञापित व्यक्ति को प्रदत्त अनुमति वापस ले लेगा;

(ख) अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों की पुष्टि करने के लिए अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा असफलता के समर्थन में परीक्षण रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट भेजेगा, उपविनियम 7 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट ब्यूरो के निर्देशों को विचार करने और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 खण्ड (ग) के अधीन उन पर कार्यवाही करने के लिए भेजना।

(ग) अनुज्ञापित व्यक्ति का नाम, ब्राण्ड का नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, प्रतीक चिह्न और अन्य विशिष्टियां किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र और किसी इलेक्ट्रॉनिक साधन या अन्य किसी रूप में दो माह के अंदर इसका प्रकाशन करेगा, जो उचित पाया जाए;

(घ) संबंधित राज्य नामनिर्दिष्ट एजेंसी को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापित व्यक्ति और व्यापारी के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करने के लिए सूचित करेगा।

12. अनुमति रद्द करना - ब्यूरो विनियम 7 के अधीन प्रदत्त अनुमति को रद्द कर सकता है, यदि अनुज्ञापित व्यक्ति-

(क) विनियम 7 के उप-विनियम (3) के प्रावधान में विनिर्दिष्ट परीक्षण रिपोर्ट जमा करने में विफल रहता है:

परन्तु यह कि यदि अनुज्ञापित व्यक्ति जमा की गई परीक्षण रिपोर्ट का पालन करने में विफल रहता है, विनियम 11 के उप-विनियम (9) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निबंधन और शर्त का पालन नहीं करता;

(ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल शुल्क का भुगतान नहीं करता;

(ग) विनियम 11 के अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करता।

अनुसूची


[विनियम 3 का उप विनियम (2) देखें]

स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लेबलों पर प्रदर्शित किए गए विवरण


(1.) लेबल डिजाइन

(i) आयाम :

क. रैपर पर लगाए जाने वाले लेबल के आयाम :



ख. लैम्प पर लगाए जाने वाले लेबल के आयाम :



(ii) लेबल की रंग योजना :

गहरा नीला – C: 97, M:95 , Y:6 , K:1

हरा – C: 81 , M: 10 , Y:90 , K:1

टिप्पण : ब्यूरो के प्रतीक चिह्न का निचला हिस्सा और स्टार फिलर केवल हरे रंग का होगा और सभी मुद्रण के अक्षरों का आकार तथा ब्यूरो का ऊपरी प्रतीक चिह्न गहरा नीला रंग का होगा



(iii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रतीक चिह्न की रंग योजना :

नीला

ह्यू (H)-239° संतृप्ति (S):64% दीप्ति(B):59%

ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L) :28, क्रोमेटिक पुर्जे -a:24 b:54

लाल (R):54 हरा(G):55 नीला(B):151

सियान (C):97% मैजेंटा (M):95% पीला (Y):6% काला(K):1%

वेब कलर कोड - #363797

हरा –

ह्यू (H)- 150° संतृप्ति (S): 10% दीप्ति (B): 67%

ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L) : 61, क्रोमेटिक पुर्जे -a: 53 b:32

लाल (R): 0 हरा(G): 170 नीला(B): 87

सियान (C): 81% मैजेंटा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1%

वेब कलर कोड - #00AA56;

(iv) स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लिए मुद्रित लेबल का पूरा नमूना -



(2) लेबल सामग्री

लेबल स्वतः चिपकने वाला होगा और इसे स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर मुद्रित किया जाएगा और लेबल के लिए आयाम डिजाइन योजना में दिखाई गई रूपरेखा में से एक को काटा जाएगा।

प्ररूप 1

[विनियम 6 के उप - विनियम (2) देखें]

(कंपनी के शासकीय पत्र में मुद्रित किया जाए)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियमन, 2017 के अधीन स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथा तल, सेवा भवन, सेक्टर - 1,

आर. के. पुरम

नई दिल्ली - 110 066

भारत

1. मैं / हम _____ (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) _____ की शैली के अंतर्गत _____ (व्यवसाय का पूरा पता) व्यवसाय करने के लिए स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के विनिर्माता हैं जैसा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियमन, 2017 में ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट है, स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर लेबल लगाने की अनुज्ञा पाने हेतु आवेदन करते हैं।

2. उपकरण, कंपनी, विनिर्माण सुविधा और भुगतान संबंधी विस्तृत विवरण अनुलग्नक 'क-1' में दिया गया है। फर्म पंजीयक अथवा संस्थाओं या उद्योग निदेशक (छोटे पैमाने की इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र अथवा अन्य सदृश दस्तावेजों की फोटोप्रति संलग्न है जो फर्म का नाम और इसके विनिर्माण परिसरों को अनुप्रमाणित करते हैं, संलग्न है।

(क) आवेदक/ प्राधिकृत व्यक्ति : _____ (नाम और पदनाम) कंपनी/ फर्म आदि की ओर से यह आवेदन करने के लिए अधिकृत है और वह इस आवेदन के साथ मुहैया कराई गई सूचना की परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

- (ख) संपर्क व्यक्ति : _____ (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए अधिकृत संपर्क व्यक्ति है।
- (ग) मैं/हम उपरोक्त (क) या (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देता हूँ/ देते हैं।

3. मेरी/ हमारी जानकारी और अनुमान के अनुसार, उक्त उपकरण के उत्पादन और बिक्री संबंधी आंकड़े और इनका प्राक्कलन निम्नानुसार हैं :

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (रुपए)
..... सेतक अंतिम वर्ष			
..... सेतक (अनुमान) चालू वर्ष			

4. मांगदेय ड्राफ्ट सं. _____ तारीख, _____ / इलेक्ट्रॉनिक रीति द्वारा एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए, लेबल प्रतिभूति शुल्क का भुगतान कर दिया गया है (लेबल प्रतिभूति शुल्क जमा करने के समय भरा जाए।
5. मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट लेबलिंग फीस का भुगतान करने को सहमत हूँ/हैं।
6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधन और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ किए जाने की स्थिति में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग देने को सहमत हूँ/हैं।
7. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन के लिए नमूने का चयन करने और परीक्षण को चुनौती देने के लिए अधिकृत करता हूँ/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने को सहमत हूँ/हैं।
8. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है; आवेदन-पत्र को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

तारीख..... दिनवर्ष

हस्ताक्षर
नाम.....
पदनाम
के लिए और उनकी ओर से.....

(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

उपाबंध क -1

(प्ररूप 1 का पैरा 2 देखें)

1. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन सं.	
फैक्स सं.	
ई-मेल	

वेबसाइट	
रजिस्ट्रीकरण का समर्थन करने के लिए संलग्नक (ड.) विनिर्माण या व्यावसायिक परिसर के नाम और पते का प्रमाणीकरण करने वाले दस्तावेज़ (च) व्यापार चिह्न प्रमाण-पत्र (छ) लघु उद्योग प्रमाणपत्र, यदि लागू हो (ज) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र (झ) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पत्र (ञ) भारतीय मानक ब्यूरो अनुज्ञप्ति, यदि लागू हो (ट) ऑनलाइन संदाय किए जाने के मामले में डिमांड ड्राफ्ट (सुरक्षा जमा) / संदाय रसीद	हां / नहीं

2. विनिर्माण परिसर के ब्यौरे (एक से अधिक विनिर्माण सुविधा के मामले में पृथक सारणी बनाई जाए)

विनिर्माण सुविधा का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य / देश	
फोन सं.	
फैक्स सं.	
ई मेल-	
वेबसाइट	
कोई अन्य ब्यौरे (यदि कोई हों)	

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप 2

[विनियम 6 का उप-विनियमन (3) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर उनका लेबल प्रदर्शित करने की रीति और विशिष्टियां) विनियम, 2017 के अधीन स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर लेबल चस्पा करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर - 1, आर. के. पुरम

नई दिल्ली - 110 066

भारत

1. मैं / हम ब्रांड का नाम (ब्रांड का नाम) के अधीन रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता हूँ और उसका ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी अनन्य लेबल श्रृंखला कोड है।
2. उपरोक्त उपस्कर का विनिर्माण या आयात ब्रांड का नाम (कंपनी का नाम) द्वारा किया जाता है और इसे (कारखाने का नाम और पता) पर विनिर्मित किया जाता है।

3. उपस्कर के संबंध में जानकारी के ब्यौरे, परीक्षण उत्पादों, लेबलों और संदाय के प्रमाणन उपाबंध क-2 में दिए गए हैं और सुसंगत फोटोकॉपी इसके साथ संलग्न है।
4. मानकों की अनुरूपता : मैं/हम _____ पुष्टि करते हैं कि (उपस्कर का नाम) के लिए _____ (अधिसूचना का शीर्षक) के संबंध में अधिसूचना में यथा: विनिर्दिष्ट भारतीय मानक/अन्य (मानक का नाम और संख्यांक) _____ के अनुसार गुणवत्ता प्रणाली / अन्य मानकों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो / अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।
मैंने / हमने, उपकरण की अपनी आंतरिक प्रयोगशाला _____ या स्वतंत्र प्रयोगशाला _____ (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण हेतु व्यवस्था कर ली है जो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएवीएल) या इंटरनेशनल लैब एक्क्रेडिटेशन कोऑपरेशन (आईएलएसी) या एशिया पैसिफिक लैब एक्क्रेडिटेशन कोऑपरेशन (एपीएलएसी) या समकक्ष निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसका कार्य विस्तार संगत भारतीय मानकों / अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन / इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमिशन मानक के अनुसार है जैसा कि का.आ... में विनिर्दिष्ट है।

प्रयोगशाला के ब्यौरे :

क) प्रत्यायन बोर्ड :

ख) प्रत्यायन प्रास्थिति :

(i) प्रयोगशाला के लिए : (हां / नहीं)

(ii) परीक्षण मानकों के लिए : (सुसंगत उत्पाद मानक का नाम / संख्या विनिर्दिष्ट करें)

ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन :

5. (क) आवेदन फीस के दो हजार रुपए का संदाय मांगदेय ड्राफ्ट संख्या तारीख /इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा कर दिया गया है।
6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तीस रुपए प्रति लेबल के लगाने की फीस का संदाय करने को सहमत हूँ/हैं।
7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधन और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ किए जाने की स्थिति में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग देने को सहमत हूँ/हैं।
8. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन के लिए नमूने का चयन करने और परीक्षण को चुनौती देने के लिए प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने को सहमत हूँ/हैं।
9. मैं/हम यह वचनबंध करता हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है; आवेदन-पत्र को तत्काल अस्वीकृत किया जाए।

तारीख दिन वर्ष

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

उपाबंध क-2

(प्ररूप 2 का पैरा 3 देखें)

सूचना के ब्यौरे

1. उत्पाद / उपस्कर के ब्यौरे

1.1 साधारण (यथा लागू ब्यौरे पूरे करें)

साधित्र और प्रकार	
ब्रांड का नाम	

मॉडल का नाम और संख्या	
निर्धारितार्थ विद्युत दाब या विद्युत दाब विस्तृति	
निर्धारितार्थ विद्युत दाब (वाॅट)	
निर्धारितार्थ प्रदीप्त प्रवाह (ल्यूमेंस)	
निर्धारितार्थ प्रदीप्त क्षमता (ल्यूमेंस / वाॅट)	
स्टार रेटिंग	

1.2 तकनीकी ब्यौरे (लागू यथाव्ययैरे पूरे करें)

(क) परिष्कित मान :

क्र. सं.	मापे गए मान	निर्धारितार्थ मान
1.	मापा गया विद्युत दाब (वाॅट)	निर्धारितार्थ विद्युत दाब (वाॅट)
2.	मापा गया प्रदीप्त प्रवाह (ल्यूमेंस)	निर्धारितार्थ प्रदीप्त प्रवाह (ल्यूमेंस)
3.	मापी गई प्रदीप्त क्षमता (ल्यूमेंस / वाॅट)	निर्धारितार्थ प्रदीप्त क्षमता (ल्यूमेंस / वाॅट)

2. परीक्षण प्रयोगशाला के ब्यौरे


परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन प्रास्थिति (i) प्रयोगशाला के लिए (ii) सुसंगत मानकों के लिए (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	हां / नहीं
प्रत्यायन की विधिमान्यता (समर्थक दस्तावेज संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन सं.	
फैक्स सं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	

3. लेबल लगाने की जानकारी

प्रारंभ होने की तारीख.	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए आवेदित लेबलों की संख्या पहले वर्ष के लिए - दूसरे वर्ष के लिए - तीसरे वर्ष के लिए -	
उत्पाद क्रम सं.	से _____ तक _____

4. मॉडल के ब्यारे :

मॉडल	मॉडल का नाम / मॉडल नंबर

5. स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर लगाए जाने वाले लेबल का नमूना नीचे दर्शित किया गया है :

तारीख.

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप 3

[विनियम 7 के उप-विनियम (1) का खण्ड (क) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर उनका लेबल प्रदर्शित करने की रीति और विशिष्टियां) विनियम, 2017 के अधीन स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के ब्रांड का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए अनुज्ञा।

नई दिल्ली , तारीख.

सेवा में ,

.....
.....

- 1.
2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर उनका लेबल प्रदर्शित करने की रीति और विशिष्टियां) विनियम, 2017 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरो एतद्वारा आपको इस पत्र के साथ संलग्नक क-3 में दिए गए अनुमोदनों के ब्यौरे के अनुसार लेबल लगाने की अनुज्ञा प्रदान करता है।
2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अधीन है —
 - (क) स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लेबल पर दर्शाया गया स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लिए अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों और उल्लिखित विनियमों में दिए गए निबंधन व शर्तों को पूरा करता हो;
 - (ख) ऐसा लेबल केवल ऐसे स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के मॉडल पर स्टांपित किया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है;
 - (ग) स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर अनुज्ञापित व्यक्ति की लागत पर लेबल मुद्रित किया या लगाया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बना रहे;
 - (ङ) अनुज्ञापित व्यक्ति, ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबल फीस का संदाय करेगा;
 - (च) अनुज्ञापित व्यक्ति, वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंत में आगामी माह के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबल लगाने के लिए प्रोद्भूत शोध्य फीस और लेबलीकृत उपस्कर उत्पादन के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए ऐसा विवरण ब्यूरो को देगा। यह ब्यौरा ब्यूरो को स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से भी प्रदान किया जाएगा।
 - (छ) अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के ऐसे अन्य ब्यौरे, जब कभी ब्यूरो द्वारा मांगे जाएं, जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है, उपलब्ध कराए जाएंगे।
3. अनुज्ञापित व्यक्ति, अनुमति की विधिमान्यता अवधि के दौरान, ब्यूरो के ऐसे पूर्व अनुमोदन के बिना स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प को बाजार से प्रत्याहृत नहीं करेगा।
4. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ब्रांड के लिए नियत की गई अनन्य लेबल श्रृंखला कोड है और यह अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दिखाई देनी चाहिए।
5.तारीखमाह वर्ष को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और तारीखांकित

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध क-3

[प्ररूप 3 का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों के ब्यौरे

1. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन सं.	

फैक्स सं.	
ई मेल-	
वेबसाइट	

2. रजिस्ट्रीकृत ब्रांड का नाम :
3. अनन्य शृंखला कोड :
4. अन्य ब्यौरे (यदि लागू हों) :

तारीख. :

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप 4

[विनियम 7 के उप - विनियम (1) के खंड (ख) और उप-विनियम (6) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर उनका लेबल प्रदर्शित करने की रीति और विशिष्टियां) विनियम, 2017 के अधीन स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर लेबल लगाने की अनुज्ञा / अनुज्ञा का नवीकरण

नई दिल्ली, तारीख. :

सेवा में ,

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर उनका लेबल प्रदर्शित करने की रीति और विशिष्टियां) विनियम, 2017 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में ब्यूरो आपको इस पत्र के उपाबंध क- 4 में दिए गए अनुमोदनों के ब्यौरों के अनुसार स्टांप लगाने और मुद्रित करने या लेबल लगाने की अनुज्ञा प्रदान करता है।
2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अधीन है -
 - (क) स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लिए अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों और उल्लिखित विनियमों में उपबंधित निबंधनों और शर्तों के अनुरूप होगा;
 - (ख) ऐसा लेबल केवल ऐसे स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के मॉडल पर स्टांपित किया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है;
 - (ग) स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर लेबल, अनुज्ञापित व्यक्ति की लागत पर मुद्रित किया और चिपकाया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञापित व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर-समय बना रहे;
 - (ङ) अनुज्ञापित व्यक्ति प्रति लेबल 5 पैसे का संदाय करेगा;
 - (च) अनुज्ञापित व्यक्ति, वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंत में आगामी माह के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबल लगाने के लिए प्रोद्भूत शोध फीस और लेबलीकृत उपस्कर उत्पादन के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए ऐसा विवरण ब्यूरो को देगा। यह ब्यौरा ब्यूरो को स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से भी प्रदान किया जाएगा;

(छ) अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के ऐसे अन्य ब्यौरे, जब कभी ब्यूरो द्वारा मांगे जाएं, जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है, उपलब्ध कराए जाएंगे।

3. यह अनुज्ञा से तक विधिमान्य होगी और यथाविहित रूप से नवीकृत कराई जा सकेगी। अनुज्ञापित व्यक्ति विधिमान्यता की अवधि के दौरान, ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना, स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प को बाजार से प्रत्याहृत नहीं करेगा।

4.तारीखमाह..... वर्ष को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और तारीखांकित

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध क-4

[प्ररूप 4 का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों के ब्यौरे

1. उपस्कर के ब्यौरे

(क) ब्रांड :

(ख) मॉडल के ब्यौरे :

मॉडल	मॉडल का नाम	मॉडल संख्या

(ग) तकनीकी विनिर्देश :


क्र.सं .	मापे गए मान	निर्धारितार्थ मान
	वाट्स (वाॅट)	वाॅट्स (वाॅट)
	प्रदीप्त प्रवाह (ल्यूमेन्स)	प्रदीप्त प्रवाह (ल्यूमेन्स)
	प्रदीप्त क्षमता (ल्यूमेन्स / वाॅट)	प्रदीप्त क्षमता (ल्यूमेन्स / वाॅट)

2. लेबल के ब्यौरे :-

उपस्कर और प्रकार	
विनिर्माता / आयातक / ब्रांड का नाम	
मॉडल और विनिर्माण का वर्ष	
स्टार स्तर	
निर्धारितार्थ वाॅट्स (वाॅट)	
निर्धारितार्थ प्रदीप्त प्रवाह (ल्यूमेन्स)	
निर्धारितार्थ प्रदीप्त क्षमता (ल्यूमेन्स / वाॅट)	
लेबल की अवधि	
अनन्य श्रृंखला कोड	

3. ब्यूरो के प्रतीक चिह्न के लेबल और लेबल की अर्न्तवस्तु तथा रंग स्कीम के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले लेबल डिजाइन, आकार, रंग स्कीम और सामग्री इस विनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

4. स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर लगाए जाने वाला ब्यूरो द्वारा सम्यक अनुमोदित लेबल का नमूना नीचे दर्शित किया गया है (माँडलों के परिवार के लिए पृथक नमूने उपाबद्ध हैं)।



पत्र में दिए गए अनन्य लेबल श्रृंखला कोड को स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर लगाए गए लेबल में उल्लिखित किया जाए।

तारीख.

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप 5

[विनियम 7 के उप-विनियम (2) देखें]

अनुज्ञापित व्यक्ति का रजिस्टर

क्र. सं.	आवेदन सं. और अनुज्ञा की तारीख	अनुज्ञापित व्यक्ति का नाम और ब्यौरे (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन सं., फैक्स सं., ई-मेल, वेबसाइट)	उपस्कर के ब्यौरे जिनके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है	स्टार स्तर या घोषित दक्षता स्तर	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अनुज्ञा संख्याक और अनन्य लेबल श्रृंखला	अवधि जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल प्रतिभूति निक्षेप रकम	लेबल प्रतिभूति निक्षेप (रेखांकित मांगदेय ड्राफ्ट (ब्यौरे) / इलेक्ट्रॉनिकी संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख :)	आवेदन फीस की रकम द्वारा प्राप्त के ब्यौरे (रेखांकित मांगदेय ड्राफ्ट (ब्यौरे) / इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख :) से प्राप्त आवेदन फीस की रकम के विवरण
(8)	(9)	(10)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लगाए गए लेबलों की कुल संख्या	लेबल लगाने की शोध्य रकम	लेबल लगाने की फीस (रेखांकित मांगदेय ड्राफ्ट (ब्यौरे) / इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख:) से प्राप्त रकम के ब्यौरे	टिप्पणियां
(11)	(12)	(13)	(14)

प्ररूप 6

[विनियम 7 के उप-विनियम (7) देखें]

अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा को जारी रखने की मांग करते हुए घोषणा
(प्रत्येक भिन्न मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध सहित एक पृथक पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)

(निगमित निकाय/अनुज्ञापित व्यक्ति के लैटरहेड पर)

तारीख :

सेवा में,

महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन,
सेक्टर - 1, आर. के. पुरम
नई दिल्ली - 110 066
भारत

विषय : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियमन, 2017
.....से लागू स्टार स्तर में परिवर्तन के संबंध में लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन - पत्र ।

1. मैं/हम [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] के अभिनाम के अधीन [कंपनी का नाम, पूरे पते सहित] में व्यवसाय करने वाला/वाले स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प का/के विनिर्माता / आयातक हूं / हैं और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियमन, 2017 में ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूं / करते हैं, जिसमें से स्टार स्तर में संशोधन होगा।
2. उपरोक्त उपकरण [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित या आयातित है और इसका (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्माण किया गया है या (आयातक का नाम और पता) से आयातित किया गया है;
3. नए स्टार स्तर का अनुपालन: मैं / हम तालिका के अनुसार जैसा स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लिए अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या..... में विनिर्दिष्ट है, का अनुपालन करते हैं। उपरोक्त उपकरण के संबंध में ब्यूरो के अनुमोदन की छायाप्रति (जिसे पूर्व में अनुमोदित किया गया था) संलग्न है।

4. स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन के पुनरीक्षण के अनुसार) की प्रति संलग्न है।
5. स्टार स्तर के संशोधन के अनुसार उपकरण/मॉडल का ब्यौरा।

मॉडल का नाम

विवरण	चोषित मान	
वाट संख्या (वाॅट)	--	
ल्युमिनस फ्लक्स (ल्यूमेन्स)	--	
ल्युमिनस क्षमता (ल्यूमेन्स / वाॅट)	--	
स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्टार लेबल के अनुसार)	(पुनरीक्षित स्टार लेबल के अनुसार)

6. मैं/हम, पुस्तिका आवेदन और ऑनलाइन वेब पोर्टल में स्टार स्तर से (विद्यमान स्टार लेबल स्तर) से (पुनरीक्षित स्टार लेबल स्तर) में परिवर्तन के लिए सहमत हूँ/हैं।
7. मैंने उक्त स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प मॉडल के लिए अभी तक तिमाही उत्पादन आंकड़े और लेबलिंग फीस जमा करा दिए हैं।
8. मैं/हम, ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और यदि ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ की जाती है, उसे आवश्यक सहायता/ सहयोग देने को सहमत हूँ/हैं।
9. मैं/हम, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन करने और जांच को चुनौती देने के लिए नमूने का चयन करने के लिए प्राधिकृत करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के दिशा-निर्देशों का पालन करने को सहमत हूँ/हैं।
10. मैं/हम यह वचनबंध देता हूँ/ देते हैं कि इस आवेदन - पत्र में प्रदान की गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि इसमें दी गई कोई सूचना गलत पाई जाती है, आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

तारीख :

दिन (वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

.....

(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

प्ररूप 7

[विनियम 11 के उप-विनियम (6) देखें]

दूसरे जांच परीक्षण के विफल रहने पर अनुज्ञापित व्यक्ति को निदेश

सेवा में,

नई दिल्ली, तारीख.....

.....
.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियमन, 2017 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में आपको इसमें विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों का अनुपालन करने की शर्त पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख. के पत्रांक..... के जरिए स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर लेबल चिपकाने की अनुमति दी गई थी।

2. ब्यूरो ने, इन विनियमों के विनियम के अधीन आपके अधिकृत वितरक, व्यापारी, खुदरा व्यापारी सेरूप की कीमत की तारीख. की बीजक संख्या के जरिए ब्यूरो स्टार के लेबल वाला स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प खरीदकर, ब्यूरो द्वारा उपरोक्त विनियम के विनियम 3 के अधीन लेबल, जो उल्लिखित खरीदे गए स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर आपके द्वारा चिपकाया गया था, पर प्रदर्शित विवरणों के सत्यापन के लिए नियुक्त एजेंसी, मैसर्स..... द्वारा तारीख..... को नमूने के तौर पर उठवाया था। मैसर्स से श्रृंखला सं. मैसर्स का विधिवत मुहरबंद नमूना, मैसर्स (वितरक, व्यापारी, खुदरा व्यापारी का नाम) से, सत्यापन एजेंसी के सम्यक प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित प्राप्त हुआ था।

3. ब्यूरो ने अपनी उपरोक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में संदर्भित नमूना मैसर्स....., एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला को का.आ. संख्या..... तारीख. के पैरा 4 और 5 में दी गई जांच प्रक्रिया के अनुसार, का. आ. संख्या..... तारीख. के अनुबंध में दिए गए प्ररूप..... के अनुसार जांच रिपोर्ट देने के लिए जांच करने के लिए भेजा था।

4. नमूने की परीक्षण रिपोर्ट के परिणाम विशिष्ट पहचान क्रम संख्या के साथ संलग्न है। परीक्षण रिपोर्ट के परिणाम में दर्शाया गया है कि नमूने के तौर पर लिए गए स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प ऊर्जा खपत मानक, ल्यूमेन आदि को पूरा करने में विफल रहे और आपके द्वारा आवेदन के उपाबंध प्ररूप 1 में प्रस्तुत किए गए परीक्षण के विवरण के अनुरूप नहीं पाए गए जो आपके द्वारा निर्मित किए जा रहे / आयात किए जा रहे स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर लेबल लगाने की अनुमति पाने के लिए जमा किया गया। परीक्षण के परिणाम आपको ब्यूरो के पत्र संख्या दिनांक द्वारा आपके अधिकृत संपर्क व्यक्ति के पास भेजे जा रहे हैं। आपको राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण बोर्ड और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायित प्रयोगशाला सर्वश्री में नमूनों के द्वितीय जांच सत्यापन परीक्षण में आना था और इसे देखना भी था।

5. हमारी अधिकृत अभिकरण मैसर्स के मार्फत तारीख दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूने उठाकर हमारी अधिकृत अभिकरण मैसर्स..... द्वारा विधिवत मुहरबंद कर एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला में भेजे गए थे और सत्यापन अभिकरण के सम्यक अधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षराधीन से प्राप्त उक्त नमूनों पर उत्कीर्ण विशेष पहचान श्रृंखला संख्या दी गई थी।

6. दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के परिणाम संलग्न हैं जिनकी राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण बोर्ड के प्रत्यायित प्रयोगशाला के सक्षम अधिकृत कार्मिक द्वारा जांच की गई है और जिनके संबंध में प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं। जांच रिपोर्ट पर दूसरे जांच परीक्षण के साक्ष्य के तौर पर आपके हस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी सम्यक हस्ताक्षर किए गए हैं। परिणामों से पुष्टि होती है कि ये का.आ. सं. तारीख..... में दिए गए अपेक्षित मानदण्डों और मानकों और आपको बाजार में विनिर्मित/ आयातित और विक्री स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर लगे लेबल पर दिए गए विवरण को दर्शाने के लिए आपको दी गई अनुमति के निबंधन और शर्तों को पूरा नहीं करते।

7. ब्यूरो द्वारा आपको स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर में सुधार करने या परीक्षण के दौरान पाई गई खराबियों और कमियों को दूर करने, बाजार से सभी स्टॉक वापस लेकर ब्यूरो के निदेशों का पालन करने, विज्ञापन सामग्री में प्रदर्शित विवरणों में बदलाव करने का निदेश दिया जाता है।

8. आपको निदेश दिया जाता है कि इस पत्र के जारी किए जाने की तारीख से दो माह के भीतर उल्लिखित सुधारात्मक कार्रवाई पूरी करें और दो माह की समाप्ति के बाद दस दिन के भीतर अर्थात्..... तक प्ररूप VI में अनुपालन रिपोर्ट भेजें। यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो, ब्यूरो इन विनियमों के अधीन कार्रवाई करेगा।

9. ब्यूरो द्वारा इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

विफल मॉडल की जांच रिपोर्ट

विनिर्माता के साथ पत्राचार

प्ररूप 8

की गई कार्रवाई रिपोर्ट
(विनियम 11 के उप-विनियम (7) देखें)
(संगठन के लैटरहेड पर प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

तारीख.

सचिव

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर - 1, आर. के. पुरम

नई दिल्ली - 110 066

भारत

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2017 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार, हमें मेसर्स स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के विनिर्माता की ऊर्जा की खपत मानक के अनुरूप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो पत्र सं के लिए तारीख मॉडल संख्या द्वारा स्टार लेबल के स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के (स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लेबल पर उनके प्रदर्शन के ब्यौरे और तरीके) विनियम, 2018 के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के उपबंधों के अनुसार, हमें आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो पत्र संख्या तारीख..... द्वारा निर्देश दिया गया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निर्देश के आलोक में, हम इसके द्वारा घोषित करते हैं कि हमारी ओर से निम्न गतिविधियों को किया गया है।

	कार्रवाई का निदेश	प्रास्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के साथ स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लेबल पर प्रदर्शित सही स्टार स्तर	हां/नहीं/लागू नहीं	स्टार स्तर (तारीख)..... से स्टार से स्टार तक सही किया गया है।
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के साथ बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें। और	हां/नहीं/लागू नहीं	बाजार से सभी स्टॉक को ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के साथ वापस ले लिया गया है।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित ब्यौरे बदलें।	हां/नहीं/लागू नहीं	हां/नहीं/लागू नहीं

उपरोक्त दी गई घोषणा हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

कंपनी/फर्म आदि का नाम

फर्म/कंपनी की मुहर

अभय वाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/369/17(158)]

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th December, 2017

No. BEE/S&L/LED/52/2017-18.—Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2017, were published *vide* notification number No. BEE/S&L/LED/52/2017-18, dated the 5th September, 2017 as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas copies of the said draft regulations were made available to the public on 5th September, 2017;

And whereas suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the period aforesaid;

And whereas the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
- (b) “Family of models” means group of models for which all the performance parameters are same;
- (c) “Form” means a form appended to these regulations;
- (d) “label” means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon the self-ballasted LED lamp;
- (e) “label period” means the validity period of the luminous efficacy under energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act:

Provided that if, the end period of the validity period of the luminous efficacy is not notified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;

- (f) “Permittee” means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;
- (g) “Schedule” means the schedule annexed to these regulations;
- (h) “Self-ballasted LED lamp” means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act;
- (i) “Star rating or star level” means the grade of energy efficiency displayed on the label of the self-ballasted LED lamp based on luminous efficacy standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
- (j) “Trader or seller” in relation to any labelled self-ballasted LED lamp means a person who sells or distributes such self-ballasted LED lamp and includes shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such self-ballasted LED lamp.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on label.— (1) On every self-ballasted LED lamp, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-

- (a) The logo of the Bureau of Energy Efficiency;
- (b) Name of manufacturer or importer and brand;
- (c) Trade name and number;

- (d) Model and year of manufacturing or import;
- (e) Unique series code;
- (f) Power consumption in watts ;
- (g) Luminous flux in lumens;
- (h) Luminous efficacy in lm/W;
- (i) Star level of self-ballasted LED lamp; and
- (j) Label period;

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels.- (1) A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every self-ballasted LED lamp within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller shall ensure that-

- (a) The self-ballasted LED lamp put on sale shall display revised star level and revised label period synchronizing with the revised energy consumption standards and the manufacturing year of the self-ballasted LED lamp shall also be in synchronization with such revised energy consumption standards, and shall not produce the self-ballasted LED lamp with the previous energy consumption standards;
- (b) All preparatory steps including awareness of the dealers, retailers and consumers, requisite publicity for their education shall be well planned and taken three months in advance of the date of such commencement, under these regulations.

5. Manner of display of label.- (1) There shall be a label on every self-ballasted LED lamp which shall be displayed at the point of sale and such label shall be affixed on the self-ballasted LED lamp in the following manner, namely:-

- (a) self-adhesive label affixed on wrapper;
- (b) the star marking as per the rating shall be stamped on the self-ballasted LED lamp; and
- (c) the size of the stamp for star marking shall be 11.5 millimetre height x 8.5 millimetre width.

6. Permission for display of label.- (1) No star label shall be affixed on a self-ballasted LED lamp without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) For the purposes of obtaining permission of the Bureau under sub-regulation (1), an application for registration shall be made for every brand separately as specified in Form I, accompanied by a label security deposit of One lakh rupees, payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any other acceptable electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, label security deposit shall be twenty-five thousand rupees only;

- (3) Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—
 - (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any other acceptable electronic mode of payment;
 - (b) documents specified in Form II.

7. Grant of permission. -(1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in its operation manual on standards and labelling from the date of such receipt, grant, subject to such terms and conditions as are specified in regulation 8, –

- (a) register the brand in Form III or in electronic form; or
- (b) grant permission for affixing label on self-ballasted LED lamp in Form IV or in electronic form.

(2) The Bureau shall maintain a register in Form V and enter the name of the permittee therein.

(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act is in force:

Provided that the permittee shall submit the test report of lumen maintenance after 25 per cent. of declared life or 6000 hours within twelve months from the date of such permission granted in accordance with the provisions of the order issued by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act.

(4) An application for renewal of permission shall be made by the permittee from six months but not later than one month before its expiry and shall be accompanied by a fee of one thousand rupees payable in the form of demand draft or electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

(5) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall make a fresh application.

(6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form IV.

(7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the self-ballasted LED lamp from the date from which the revised star level comes into force, shall submit only a declaration in Form VI.

(8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the self-ballasted LED lamp is planned to be launched synchronising with the revised star level, and application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label.- Every permittee, trader and seller shall,-

- (a) comply with the energy consumption standards for self-ballasted LED lamp notified under clause (a) of section 14 of the Act;
- (b) affix label only on such model of self-ballasted LED lamp for which permission has been granted;
- (c) affix label on the self-ballasted LED lamp at the cost of the permittee;
- (d) ensure that the star level displayed on the label of self-ballasted LED lamp shall be maintained at all time;
- (e) pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of closure of each quarter of the financial year;
- (g) furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year;
- (h) comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Operation Manual on Standard and Labelling.

9. Label fee. - (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of five paise for each label affixed on the self-ballasted LED lamp;

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year;

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security deposit paid under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6 and if complete labelling fees are not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau may cancel the labels granted to the permittee and publish his name in the national or regional daily newspapers and in electronic means as a defaulter.

10. Refund of label security deposit. - Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, the permittee shall be entitled to a refund of the label security deposit, on ceasing to manufacture self-ballasted LED lamp.

11. Verification by Bureau.- (1) The Bureau or its designated agency may, either *suo motu* or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the self-ballasted LED lamp conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

- (2) For the purposes of verification, the Bureau or its designated agency may pick up samples at random from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit.
- (3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the self-ballasted LED lamp in an independent laboratory duly accredited by the National Accreditation Board for testing and calibration laboratories,-
- (a) the Bureau shall issue a notice to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit such expenses relating to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time as may be determined by the Bureau;
 - (b) if the sample drawn under challenge testing fails, the permittee shall reimburse all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges to the Bureau and the Bureau shall refund the said expenses to the complainant; and
 - (c) where the equipment passes the challenge test, then the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.
- (4) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), if the permittee fails to deposit such expenses referred to in sub-regulation (3) within such time, the Bureau shall-
- (i) continue the verification by challenge testing the self-ballasted LED lamp referred to in sub-regulation (3); and
 - (ii) the processing of application received under regulation 6 may be kept in abeyance till such expenses are deposited.
- (5) Where samples of self-ballasted LED lamp used for testing fails, the test during *suo motu* testing or challenge testing, the Bureau shall afford the permittee another opportunity and the Bureau shall conduct a second test with twice the quantity of self-ballasted LED lamp used in the first test in an independent test laboratory duly accredited by the National Accreditation Board for testing and calibration laboratories at the cost of the permittee.
- (6) Where the second test fails, the Bureau shall,-
- (a) direct the permittee in Form VII, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee shall, within a period of two months,-
 - (i) correct the star level displayed on the label affixed on the wrapper of self-ballasted LED lamp or remove the defects and deficiencies found during testing;
 - (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
 - (iii) change the particulars displayed on advertising material;
 - (b) publish in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit within two months, the name of the permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications;
 - (c) intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- (7) The permittee shall, within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (6),-
- (a) send the compliance report in Form VIII to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and
 - (b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed to be non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.
- (8) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (7) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of the Act and enforcement of the orders passed under clause (b) of the said sub-regulation.
- (9) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (6), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies shall-
- (a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;

- (b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred to in clause (a) of sub-regulation (7) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;
- (c) publish in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months, the name of the permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications;
- (d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

12. Cancellation of permission. - The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee—

- (a) fails to submit the test report specified in the proviso to sub-regulation (3) of regulation 7:

Provided that if, the permittee fails to comply with the test report submitted, action shall be taken as per sub-regulation (9) of regulation 11.

- (b) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
- (c) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;
- (d) fails to comply with the directions issued under regulation 11.

SCHEDULE


[See sub-regulation (2) of regulation 3]

Particulars to be displayed on labels of self-ballasted LED lamps.


1. Label design

(i) Dimension:

- (a) Dimension of the label to be affixed on wrapper:



(b) Dimension of the label to be stamped on the lamp:




(ii) Colour scheme for the label :

NAVY BLUE – C: 97, M:95 , Y:6 , K:1

GREEN – C: 81 , M: 10 , Y:90 , K:1

*Note: Bottom of Bureau's logo and star filler in **GREEN** colour only and all fonts and top of Bureau's logo in **NAVY BLUE***



(iii) Colour scheme of Bureau of Energy Efficiency logo:

BLUE –

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%
 Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54
 Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151
 Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%
 Web colour code - #363797

GREEN –

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%
 Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32
 Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87
 Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%
 Web colour code - #00AA56;

(iv) The complete specimen of a printed label for Self-ballasted LED lamp:



2. Label material

The label shall be self-adhesive and printed on the self-ballasted LED lamp and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label.

FORM I

[See sub-regulation (2) of regulation 6]

(To be printed in company letter head)

Application for registration of brand of self-ballasted LED lamps under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2017

The Director General
Bureau of Energy Efficiency,
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector-I, R.K. Puram,
New Delhi - 110066
India.

1. I/We are the manufacturers of Self-ballasted LED lamp carrying out business at (full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on self-ballasted LED lamp as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of the Label on Self-ballasted LED lamp) Regulations, 2017.
2. The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure A- I. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/Authorised person: (Name and designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm etc. and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

(b) Contact Person: (Name and designation) is authorised contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above.

3. Production and sales figures of the said equipment and the value there of to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last Year from..... to.....			
Current Year from..... to..... (estimate)			

4. A label security deposit of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees.....has been paid by Demand Draft. No. dated...../electronic mode (To be filled only at the time of submission of label security deposit).
5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.
6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of..... (Year)

Signature
Name
Designation
For and on behalf of.....

(Name of the firm)
SEAL OF FIRM

Annexure A- I
[See para 2 of Form I]

1. Details of the Company

Name of the Company	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration: (e) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises (f) Trade Mark Certificate (g) SSI Certificate, if applicable (h) Quality Management System Certificate	Yes/No

(i) Authorised Signatory Letter (j) BIS License, if applicable (k) Demand Draft (Security Deposit)/ payment receipt in case payment is made online	
--	--

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin Code	
State / Country	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Signature
Name
Designation
For and on behalf of.....

(Name of the firm)
SEAL OF FIRM

FORM II

[See sub-regulation (3) of regulation 6]

Application for permission to affix label on self-ballasted LED lamps under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2017

The Director General
Bureau of Energy Efficiency,
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector-I, R.K. Puram,
New Delhi - 110066
India.

1. I/We are the registered manufacturers of self-ballasted LED lamps under the brand name (Name of the brand) and the unique label series code issued by Bureau of Energy Efficiency is
2. The above equipment is manufactured or imported by(Name of the company) in the brand name and is manufactured at (Name and address of the factory).
3. The details of the information in respect of the equipment, certification of test products, labels and payment is given in Annexure A- II and relevant photocopies are enclosed.
4. Conformance to standards : I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other International Standards in respect of Quality System/ Other Standards in accordance with Indian Standard/Others (name and number of the standard) as specified in the notification on(title of the notification) for the (name of the equipment).

I/We have made arrangement for testing at our in-house laboratory _____ or at independent laboratory _____ (Name and address of the laboratory) which is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) or International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) or Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) or equivalent bodies for ensuring consistency in quality of the equipment as well as the scope of the relevant Indian Standard/International Standard Organization/International Electrotechnical Commission standards as specified in S.O.....

Laboratory details:

- (a) Accreditation Board:
 (b) Accreditation status:
 (i) For Laboratory: (Yes/No)
 (ii) For Test Standards: (Specify relevant product standard name/number)
 (c) Bureau of Energy Efficiency approval:
5. (a) An application fee of two thousand rupees has been paid by Demand Draft. No. dated...../electronic mode.
6. I/We agree to pay the labelling fee of thirty rupees per label as specified by the Bureau.
7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
8. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
9. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of..... (Year)

Signature
 Name
 Designation
 For and on behalf of.....

(Name of the firm)
 SEAL OF FIRM

Annexure A- II

[See para 3 of Form II]

Details of Information

1. Product/Equipment Detail**1.1 General** (Complete the details as applicable)

Appliance and Type
Brand Name
Model Name and Number
Rated voltage or voltage range
Rated Wattage (Watts)
Rated luminous flux (Lumens)
Rated luminous efficacy (Lumens/Watt)
Star rating

1.2 Technical details (Complete the details as applicable)**a) Tested Values:**

S. No.	Measured Values	Rated Values
1.	Measured Wattage (Watts)	Rated Wattage (Watts)
2.	Measured Luminous flux (Lumens)	Rated Luminous flux (Lumens)
3.	Measured Luminous Efficacy (Lumen/Watt)	Rated Luminous Efficacy (Lumen/Watt)

2. Details of test laboratory


Name of the test laboratory	
Accreditation status (i) For Laboratory (ii) For Relevant standards (Attach copy of the accreditation certificate)	Yes/No
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

3. Labelling information

Date of commencement	
Number of labels applied for BEE for the first year - for the second year - for the third year -	
Product Serial No.	From _____ To _____

4. Model Details:

Model	Model Name/Model Number

5. Specimen of the label to be affixed on the self-ballasted LED lamp is shown below:

Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

.....

(Name of the firm)
SEAL OF FIRM
.....

FORM III

[See clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 7]

Permission for registration of brand of Self-ballasted LED lamps under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2017

New Delhi, dated.....

To

.....
.....
.....

1. Pursuant to the provisions of Regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2017, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in the Annexure A- III to this letter.
2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the self-ballasted LED lamps shall conform to energy consumption standards for self-ballasted LED lamps notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the label shall be stamped only on such model of self-ballasted LED lamps for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed or affixed on the self-ballasted LED lamps at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the self-ballasted LED lamps shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee as specified by the Bureau;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated system;
 - (g) the permittee shall make available such other details of self-ballasted LED lamps as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the self-ballasted LED lamps from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is..... and should appear on the label as per the approved design.
5. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth..... year.

Yours faithfully

(Secretary)
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Annexure A- III
[See para 1 of Form III]
Details of Approvals

1. Details of the Company

Name of the Company	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	

2. Name of the brand registered:**3. Unique Series Code:****4. Other details (if applicable):**

Date.....

Yours faithfully

(Secretary)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

FORM IV

[See clause (b) of sub-regulation (1) and sub-regulation (6) of regulation 7]

Permission/renewal of permission to affix label on Self-ballasted LED lamps under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2017

New Delhi, dated.....

To

.....
.....
.....

1. Pursuant to the provisions of Regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2017, the Bureau hereby permits you to stamp and print or affix label as per details of approvals set out in the Annexure A- IV to this letter.
2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the self-ballasted LED lamps shall conform to energy consumption standards for self-ballasted LED lamps notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the label shall be stamped only on such model of self-ballasted LED lamps for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed or affixed on the self-ballasted LED lamps at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the self-ballasted LED lamps shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee of 5 paisa per label;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of

each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated system;

- (g) the permittee shall make available such other details of self-ballasted LED lamps as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.

3. This permission shall be valid with effect fromto..... and may be renewed as prescribed. The permittee shall not withdraw the self-ballasted LED lamps from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.

4. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth..... year.

Yours faithfully

(Secretary)
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Annexure A- IV
[See para 1 of Form IV]
Details of Approvals

1. Details of the equipment

(a) **Brand:**

(b) **Model Details:**

Model	Model Name	Model Number

(c) **Technical Specification:**

Sl. No.	Measured Values	Rated Values
	Wattage (Watts)	Wattage (Watts)
	Luminous flux (Lumens)	Luminous flux (Lumens)
	Luminous Efficacy (Lumens/Watts)	Luminous Efficacy (Lumens/Watts)

2. Label Details

Appliance and Type	
Name of the manufacturer/importer/Brand	
Model and Year of Manufacturing	
Star level	
Rated Wattage (Watts)	
Rated Luminous flux (Lumens)	
Rated Luminous Efficacy (Lumens/Watts)	
Label Period	
Unique Series Code	

3. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule of this regulation.

4. Specimen of the label duly approved by the Bureau to be affixed on the self-ballasted LED lamps is shown below
(Separate specimens for family of models is annexed)



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the Self-ballasted LED lamps.

Date

Yours faithfully

(Secretary)
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

FORM V

[See sub-regulation (2) of regulation 7]

Register of Permittee

Sl. No.	Application number and date of permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, PhoneNo., Fax No., E-mail, Website)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or efficiency level declared	BEE permission number and unique label series	Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of label security deposit	Label security deposit received by (Crossed Demand Draft (Details)/Electronic transaction (Details): Date:)	Application Fees details of Amount received (Crossed Demand Draft (Details)/Electronic transaction (Details) : Date :)
(8)	(9)	(10)

Number of labels affixed at the end of each financial year	Amount of labelling fee due	Labelling fee details of Amount received (Crossed Demand Draft (Details)/ Electronic transaction (Details): Date:)	Remarks
(11)	(12)	(13)	(14)

Form VI

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

Declaration by permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model

(For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of corporate body / Permittee)

Date:**To**

The Director General
Bureau of Energy Efficiency
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector 1, R.K.Puram,
New Delhi-110 066
India.

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2017 on revision of star level effective from

1. I/ We are the manufacturers / importers of self-ballasted LED lamps carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on self-ballasted LED lamps as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2017 which would go for revision of star level with effect from.....

2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER);

3. Conformance to New star level: I/We conform to the table change as per TABLEas specified in the S.O. numberdated.....for self-ballasted LED lamps. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

4. A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the self-ballasted LED lamps is enclosed.

5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name - _____

Particulars	Declared Values	
Wattage (Watts)	--	
Luminous flux (Lumens)	--	
Luminous Efficacy (Lumens/Watts)	--	
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] To [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.
7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said self-ballasted LED lamps model.
8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
9. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of (Year)
 Signature
 Name
 Designation
 For and on behalf of.....

 (Name of the firm)
 SEAL OF FIRM

FORM VII

[See sub-regulation (6) of regulation 11]

Direction to permittee on failure of second check testing

To

New Delhi, dated the.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their Display on Label of Self-ballasted LED Lamps**) Regulations, 2017 you were permitted to affix label on the Self-ballasted LED lamps vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation ... of these regulations, had purchased a Bureau star labelled Self-ballasted LED lamps from your authorised distributor, dealer, retailer vide Invoice numberdated for a price of Rs..... and lifted as a sample datedby M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3, affixed by you on the aforesaid purchased Self-ballasted LED lamps. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number.....was obtained from M/s.....(Name of the distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification agency.

3. The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 4 and 5 of S.O. numberdated thefor giving Test Report in accordance with the formgiven in Annexure to S.O. numberdated the

4. The results of the test report on the sample bearing unique identification serial number is enclosed. The results of the test report indicated that the sampled self-ballasted LED lamps failed to meet the energy consumption standard, lumens, etc. and did not conform to the test details furnished by you in Form I annexed to the application submitted by you for seeking permission to affix label on the Self-ballasted LED lamps manufactured/imported by you. The test results were sent to you vide the Bureau letter No.....dated.....in the name of your authorised contact person. You were also required to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory M/s.....

5. The sample for second check verification test was picked updated the through our authorized Agency M/s.and transported to the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory transported by our authorised agency, duly sealed by M/s..... and was given unique identification serial number embossed on the said sample obtained fromunder signatures of the duly authorised representative of the verification agency as well as your representatives.
6. The test results of second check testing are enclosed which are dully checked and counter signed by the competent authorized personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory. The test report is also duly signed by your authorized signatory as witness of second check testing. The test results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O. number....dated,and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the self-ballasted LED lamps manufactured/imported and sold in the market .
7. The Bureau hereby directs you to correct the star level displayed on the label of the self-ballasted LED lamps or remove the defects and deficiencies found during testing; withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and change the particulars displayed on advertising material.
8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within ten days after the expiry of two months, i.e., byIn case no compliance report is received by the said date, the Bureau shall proceed to take action under these regulations.
9. The Bureau shall take further follow up action in accordance with the provisions of these regulations.

Secretary,
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model
2. Correspondence with the manufacture

Form VIII

Action Taken Report

[See sub-regulation (7) of regulation 11]

(To be furnished on letter head of the organisation)

To
The Secretary,
Bureau of Energy Efficiency
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector 1, R.K.Puram,
New Delhi-110 066
India.

Date:

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2017, we M/s.....the manufacturer of self-ballasted LED lamps were permitted to affix label on the self-ballasted LED lamps conforming to the energy consumption standard ofstar level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of self-ballasted LED lamps) Regulations, 2018, we were given directions vide Bureau of Energy Efficiency letter number.....dated..... to take necessary corrective action. In the light of directive issued by the Bureau, we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the Self-ballasted LED lamps to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star to..... star with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature.....

Name.....

Designation.....

For and on behalf of.....

Name of the Company/Firm etc
Seal of the Firm/Company

ABHAY BAKRE, Director General

[ADVT.-III/4/Exy./369/17(158)]